पंचायत निर्वाचन

अभ्यर्थियों के लिये मार्गदर्शिका

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग
पंचकूला ।

मूल्यः 35/— रूपये

प्रस्तावना

संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती निकायों को सुदृढ़ और सक्षम बनाने तथा समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य में जो प्रावधान किये गये हैं उनके अनुरूप हरियाणा राज्य में चौथी बार पंचायतों के सामान्य चुनाव हो रहे हैं ।

संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 बनाया गया है। संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत अब राज्य में पंचायती निकाय नियमानुसार 3 प्रकार के होगे:–

(क) जिला स्तर पर जिला परिषद्।
(ख) खण्ड स्तर पर पंचायती समिति।
(ग) गांव के लिये पंचायत।

पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का चुनाव अब सीधे मतदाताओ द्वारा किया जायेगा तथा पंचायत समिति के सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद् के प्रधान व उप–प्रधान का चुनाव होगा।

पंचायतों के निर्वाचन का दायित्व संविधान के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है ।

इस पुस्तिका में नए कानून तथा निर्वाचन नियमों के मूल तत्व दिए हैं जिससे अभ्यर्थियों को उनके मुख्य कर्तव्यों और दायित्वों की जानकारी सरलता से इसमें मिल जायेगीं

इस पुस्तिका के साथ सम्बन्धित विधि तथा नियमों को भी साथ में देख लें क्योंकि निर्वाचन प्रकिया में वे ही प्रमाणिक स्रोत हैं तथा प्राधिकार के रूप में केवल उन्हीं का हवाला दिया जा सकता है ।

आशा है कि यह पुस्तिका निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों तथा उनके कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

पंचकूला

राज्य निर्वाचन आयुक्त
हरियाणा।

अध्याय

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ
1.	सामान्य	1-3
2.	नामांकन–पत्रों की प्रस्तुति	4-6
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	7-8
4.	अभ्यर्थिता/उम्मीदवारों की वापसी	9
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों /उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करना और प्रतीक आंबटन।	10-16
6.	अभ्यर्थियों के अभिकर्ता	17-19
7.	निर्वाचन अपराध, भ्रष्ट आचरण तथा चुनाव याचिकायें	20-24
8.	निर्वाचन अभियान	25-26
9.	मतदान	27-32
10.	विशेष परिस्थितियों में मतदान का स्थगन तथा पुनर्मतदान	33-34
11.	मतों की गणना	35-40
12.	पंचायत निर्वाचन खर्च लेखे रखना तथा प्रस्तुत करना	41-42
13.	पंचायत निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता	43-47
परिशिष्ट		
एक	उम्मीदवारों की वापसी का नोटिस	48
दो	अधिसूचना दिनांक **13.03.2014**	49-59
तीन	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप – **10**)	60
चार	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप–**22**)	61
पांच	गणन अभिकर्ता (ओं) की नियुक्ति (प्ररूप–**23**)	62
छः	मतपत्र लेखा (प्ररूप–**13**)	63
सात	मतपत्र लेखा पावती	64
आठ	निर्वाचन का प्रमाणपत्र	65
नौ	हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, **1996**	66-74

अध्याय–1

सामान्य

1. आरक्षण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना–

प्रत्येक 'पंचायत' विभिन्न वार्डों में बांटी गई है। समाज के विभिन्न वर्गों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से वार्ड अनूसूचित जाति, अनूसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। जो वार्ड जिस वर्ग के लिये आरक्षित है, उस वार्ड से उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अतः आपके लिये सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है कि आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह किस वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित वार्डों से वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो उस जाति या वर्ग का हो। इस प्रकार के आरक्षित वार्डों में तथा बाकी बचे वार्डों में एक तिहाई वार्ड ऐसे रहते हैं जिनमें केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं अर्थात् जो महिलाओं के लिये आरक्षित है। अतः किसी वार्ड विशेष से चुनाव में खड़े होने के पूर्व इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आप उस वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं ।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान तथा निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य व्यक्ति–

(i) *प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में है, जब तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन अयोग्य नहीं कर दिया जाता तब तक निर्वाचन खण्ड के लिए जिससे ऐसी सूची संबद्ध है, किसी सदस्य के चुनाव हेतु मत देने के लिए योग्य होगा ।*

(ii) *प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु का हो गया है, तथा जिसका नाम मतदाता सूची में है, जब तक हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन अयोग्य नहीं कर दिया जाता, किसी निर्वाचन खण्ड से निर्वाचित किए जाने के योग्य होगा ।*

(iii) *कोई भी व्यक्ति जिसका नाम गांव के लिए मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उसके किसी निर्वाचन खण्ड से निर्वाचित किए जाने के योग्य नहीं होगा ।*

(iv) *किसी व्यक्ति की किसी अयोग्यता के अधीन रहते हुये, इस धारा के अधीन यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई व्यक्ति, यथास्थिति, मतदान या किसी चुनाव पर निर्वाचित किए जाने के योग्य है अथवा नहीं मतदाता सूची अंतिम साक्ष्य होगी।*

3. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 के तहत चुनाव से पूर्व व चुनाव उपरांत अयोग्यताएं– *कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो–*

(क) *इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में–*

(i) *जब तक उसको सिद्ध दोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 22), के अधीन किसी अपराध ; या*

(ii) *जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः माह के कारावास से दण्डित रहा हो ; या*

(ख) *किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है ; अथवा*

(ग) *न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो ; अथवा*

(घ) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओ से निर्मुकत न कर दिया गया हो ; अथवा*

(ङ.) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो ; अथवा*

(च) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है ; अथवा*

(छ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ; अथवा*

(ज) *किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवाहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ; या*

(झ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है ; अथवा*

(ञ) *सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ; या*

(ट) *स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ; अथवा*

(ठ) *इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है ; अथवा*

(ड) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिघृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिघृति के किराये के बकाया है ; या*

(ढ) *निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है ; या*

(ण) *सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के*

किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है ; अथवा

(*त*) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता ; अथवा*

(*थ*) *आलोपित ;*

(*द*) *इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकार के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है;*

(*ध*) *नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है :*

परन्तु खण्ड (*द*) *तथा* (*ध*) *के अधीन ऐसी निर्रहता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी।*

व्याख्या 1 *– कोई भी व्यक्ति खण्ड छः के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति–*

(*क*) *किसी सयुंक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसयटी में कोई अशं या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा ; अथवा*

(*ख*) *किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये ; अथवा*

(*ग*) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है ; अथवा*

(*घ*) *एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है ; अथवा*

(*ङ*) *अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विक्रय या क्रम में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा*

(*च*) *किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा–कदा किये जाने वाले विकय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से कय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।*

व्याख्या 2 *:– कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड* (i) *में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।*

अध्याय–2

नामांकन–पत्रों की प्रस्तुति

(निर्वाचन नियम 24 से 28)

1. निर्वाचन नियम 24 के अन्तर्गत निर्वाचन समय अनुसूची अधिसूचना अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ होगा। निर्वाचन की सूचना में निम्नांकित बातों का सुस्पष्ट उल्लेख रहता है–

1. *नामांकन करने के लिये अन्तिम तारीख, समय तथा स्थान*
2. *नामांकन पत्रों की संवीक्षा/जांच के लिये तारीख, समय तथा स्थान*
3. *अभ्यर्थिता/उम्मीदवारी वापिस लेने की अन्तिम तारीख तथा समय*
4. *मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, की तारीख, समय और मतगणना की तारीख, समय और स्थान*

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कम से कम पांच दिन की अवधि विहित की जाएगी । अतः आपको चाहिए कि आप अपना नामांकन पत्र निर्धारित समय और स्थान पर तथा रिटर्निंग आफिसर या ऐसे सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करें जिसे इस हेतु प्राधिकृत किया गया हो । नामांकन पत्र केवल उम्मीदवार द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। नामांकन पत्र भरने उनकी छानबीन करने तथा वापसी की अन्तिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा । यदि इन प्रयोजनों के लिए किसी अन्तिम तिथियों को सार्वजनिक अवकाश होता है, तो, ऐसा नामांकन पत्र भरने, उनकी छानबीन करने तथा वापसी का अन्तिम दिन अगला अनुवर्ती दिन होगा, जो कि सार्वजनिक अवकाश नहीं है । सार्वजनिक अवकाश से आशय केवल ऐसे अवकाश से है जिस दिन राज्य शासन द्वारा कार्यालयों के साथ–2 कोषालय एवं उप–कोषालय भी बन्द हो। यदि कोई अवकाश केवल शासकीय कार्यालयों के लिये हो, परन्तु शासकीय कोषालय एवं उप–कोषालयों के लिये न हो तो वह सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा तथा उस दिन नामांकन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही किसी भी अन्य कार्यकारी दिवस के समान ही की जाएगी।

2. नामांकन पत्र सम्बन्धित प्ररूप 4 में, शपथ/घोषणा पत्र प्ररूप 4–क के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इन प्ररूपों की छपी प्रतियां रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में निशुल्कः उपलब्ध होती हैं । नामांकन पत्र (प्ररूप 4) एवं शपथ/घोषणा पत्र (प्ररूप 4–क) आपको मांग पर रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा निशुल्कः उपलब्ध करवाया जाएगा ।

3. नामाकंन–पत्र कार्यकारी दिनों में 10.00 बजे दोपहर से पूर्व से 4–00 बजे दोपहर बाद के बीच प्रस्तुत किये जा सकते हैं । किन्तु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत आखरी तारीख को यदि दोपहर बाद 4–00 बजे तक जो भी उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में उपस्थिति हो चुका हो, उससे नामांकन पत्र प्राप्त किया जायेगा।

4. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पहले, यह आवश्यक है कि आपके द्वारा निम्नानुसार धनराशि प्रतिभूति (निक्षेप/सिक्योरिटी) के रूप में रिटर्निंग आफिसर के पास जमा की जाए–

(i) *पंचायत के किसी वार्ड के पंच के निर्वाचन के मामले में रूपये 100/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, रूपये 40/–*

(ii) *सरपंच के मामले में रूपये 200/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनूसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां रूपये 100/–*

(iii) *पंचायत समिति के मामले में रूपये 300/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां रूपये 150/–*

(iv) *जिला परिषद् के मामले में रूपये 400/– और जहां कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, वहां रूपये 200/–*

यह राशि या तो नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी के पास या नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिये अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद जमा कराई जा सकती है या इसे उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप–कोषालय में चालान से भी जमा की जा सकती है ।

राशि कोषालय या उप–कोषालय में जमा किये जाने की स्थिति में आपको रसीद या चालान की प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी रियायती दर पर सिक्योरिटी जमा करवानेे का हकदार है, भले ही वह किसी अनारक्षित वार्ड से चुनाव क्यों न लड़ रहा हो।

5. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व आपको निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि नामाकंन पत्र खारिज होने की नौबत न आए–

(i) *कि सम्बन्धित मतदाता सूची में आपका नाम, अनुकमांक तथा मतदाता क्रमांक दर्ज है ।*

(ii) *सामान्यतः आपको नामांकन पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखना चाहिए जैसा कि वह मतदाता सूची में दर्ज है । यदि आप पांए कि मतदाता सूचि में आपके नाम की वर्तनी (सपैलिंग) त्रुटिपूर्ण है या नाम में अशुद्धि है, तो आप नामांकन पत्र में अपना नाम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार की मामूली भिन्नता को नजर अन्दाज करेगा।*

(iii) *आपको अपने नामांकन पत्र में सही आयु का उल्लेख करना चाहिए। यदि मतदाता सूची में आपकी आयु सही आयु से भिन्न लिखी हो तो भी आपको वर्तमान आयु ही बतानी चाहिए। यदि आपकी आयु अभ्यर्थिता के लिये न्यूनतम आवश्यक आयु अर्थात् 21 वर्ष के आसपास हो और ऐसी आशंका हो कि आपकी आयु के बारे में किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है तो आपको अपनी आयु के सम्बन्ध में अपने पास पर्याप्त प्रमाण भी रखना चाहिए।*

(iv) *यदि आप किसी आरक्षित वार्ड से अभ्यर्थी हों तो आपको नामांकन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति या अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। केवल अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य होना लिख देना या इन शब्दों के सामने सही का निशान (√) लगा देना पर्याप्त नहीं है । महिला अभ्यर्थी को भी स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि वह महिला वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर रही है ।*

6. नामांकन पत्र में उपरिलेखन या काटकूट (ओवर राईटिंगइ व कटिंग) नहीं की जानी चाहिए। यदि प्ररूप भरने में त्रुटियां या कटिंग हो जाए तो उसे प्रस्तुत न किया जाए और दूसरा प्ररूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। कटिंग मामूली किस्म की हो तो उसके उपर आपको अपने लघु हस्ताक्षर करने चाहिए।

7. नामांकन पत्र में आपके द्वारा जिस प्रकार अपना नाम लिखा जायेगा। ठीक उसी प्रकार वह मतपत्रों में छपेगा। अतः आपको चाहिए कि नामांकन पत्र में अपना नाम वैसे ही लिखें जैसा आप उसे मतपत्रों में मुद्रित/छपवाना कराना चाहते हैं।

8. पंचायत समिति या जिला परिषद् का सदस्यों के पदों के चुनाव पार्टी आधार पर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को प्रतीकों का आवंटन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2014 के अनुसार किया जाएगा । आजाद उम्मीदवार होने की स्थिति में नामांकन पत्र दाखिल करते समय आपको नामांकन पत्र में आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव प्रतीकों में से किन्हीं तीन निर्वाचन प्रतीकों (चुनाव चिह्नों) का उल्लेख करना होगा (चुनाव प्रतीकों के नमूने रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में देखे जा सकते हैं) । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतीकों के आबंटन में आपके द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में दर्शाए गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा। जहां तक पंच तथा

सरपंच के पदों के अभ्यर्थी का सम्बन्ध है उनको नियम 32 (2) के अनुसार चुनाव चिह्न आयोग द्वारा निर्धारित सूची में से देवनागरी/हिन्दी लिपि के वर्णकमानुसार दिया जायेगा।

9. नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्राप्त करने वाले रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित प्ररूप में एक रसीद (पावती) दी जायेगी। जिसमें नामांकन पत्र की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख की सूचना भी अंकित रहेगी। इस रसीद को आप सभांल कर रखें क्योंकि यदि बाद में आपने उम्मीदवारी वापिस लेने का निर्णय लिया तो इस रसीद को उम्मीदवारी वापिस लेने के आवेदन के साथ संलग्न करना या इसे दिखाना आवश्यक होगा।

अध्याय–3

नामांकन–पत्रों की संवीक्षा/जांच

(*निर्वाचन नियम 29 तथा 30*)

1. नामांकन पत्रों की जांच का कार्य नामांकन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जायेगा। जांच केवल रिटर्निंग आफिसर द्वारा ही की जायेगी, किसी सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा नहीं। जांच के दौरान केवल निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं–

(*क*) *आप स्वयं*

(*ख*) *आपका चुनाव एजेंट यदि कोई हो,*

जांच के दौरान, आपको सभी अभ्यर्थियों/उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों का निरीक्षण करने का पूरा अवसर दिया जायेगा।

2. जांच के दौरान किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी ऐसी भूल या त्रुटि जो सारभूत प्रकार की नहीं है को नजर अन्दाज किया जायेगा।

3. आपको किसी भी नामांकन पत्र के बारे में तुच्छ या तकनीकी किस्म की आप्ति नहीं उठाने चाहिए। नामांकन पत्र को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अस्वीकृत करना विधि सम्मत होगा।

(*क*) *यदि अभ्यर्थी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन खाली सीट पर निर्वाचित होने के लिये अयोग्य है।*

(*ख*) *यदि अभ्यर्थी ने नियम 26,27 एवं 28 के अनुसार कार्यवाही नहीं की है।*

(*ग*) *यदि नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर सही नहीं हैं ।*

4. प्रत्येक नामांकन पत्र के बारे में रिटर्निंग आफिसर इस बारे स्वतः निर्णय लेगा कि नामांकन पत्र विधिमान्य है या नहीं। यदि नामांकन पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाए तो उस पर निर्णय करने के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा संक्षिप्त जांच की जायेगी। यदि आपत्ति को प्रथम दृष्टतया अमान्य नहीं किया जा रहा हो तो अभ्यर्थी को उसका खंडन करने का अवसर दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक आपत्ति पर अपना निर्णय लिखित रूप में करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

5. किसी आक्षेप /आपत्ति को सिद्ध करवाने का भार आपत्तिकर्ता पर है ।

6. जांच के दौरान उठाए जाने वाले आरोपों का खंडन करने के लिये आपके पास निम्नांकित दस्तावेज होना वांछनीय है–

i) *मतदाता सूची के सुसंगत भाग की एक प्रति अथवा मतदाता सूची में आपके तथा आपके प्रस्तावक के नामों से सम्बन्धित प्रविष्टि/इन्द्राज की प्रमाणित प्रति,*

ii) *प्रतिभूति /जमानत राशि जमा करने की रसीद या चालान की प्रति,*

iii) *आयु के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण,*

iv) *नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की रसीद,*

v) *यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हों तो सम्बन्धित जाति वर्ग का सदस्य होने का सतोंषजनक प्रमाण पत्र।*

7. आपत्तियों के सम्बन्ध में जांच और सुनवाई के पश्चात्, किसी नामांकन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बनध में रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपना निर्णय लिखित रूप में किया जायेगा।

यदि निर्णय नामांकन पत्र को खारिज करने का हो तो उसके लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जायेगा। यदि आपका नामांकन पत्र किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है तो आपको रिटर्निंग आफिसर के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए।

8. किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत नामांकन पत्र स्वीकृत हो जाता है तो उस अभ्यर्थी का नाम निर्धारित समझा जायेगा।

9. समस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा कर लिये जाने तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने पर निर्णय हो जाने के तुरन्त बाद रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों की, जिनके नामांकन पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं, एक सूची तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

अध्याय–4

अभ्यर्थिता/उम्मीदवारी की वापसी

(निर्वाचन नियम 31)

1. यदि आप किसी कारण से चुनाव न लड़ना चाहें और अपना नाम वापिस लेना चाहते हैं तो आपको निर्धारित प्ररूप ***(परिशिष्ट–1)*** *में रिटर्निंग आफिसर को एक आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र उम्मीदवारी वापिस लेने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।* (*उस तारीख का उल्लेख जारी की गई निर्वाचन की सूचना में रहता है*) *आवेदन पत्र नामांकन पत्र की* जांच *समाप्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। आवेदन पत्र आपके द्वारा स्वयं या इस निमित लिखित रूप में प्राधिकृत किये जाने पर, अपने निर्वाचन अभिकर्ता* (Election Agent) *के माध्यम से रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाना होगा।*

2. एक बार उम्मीदवारी वापस लेने का आवेदन दे दिये जाने के बाद उसे वापिस नहीं लिया जा सकेगा।

3. उम्मीदवारी वापिस लिये जाने के आवेदन पत्र को तभी स्वीकार किया जायेगा जब उसकी प्रमाणिकता तथा उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाए, यदि आवेदन पत्र आपके द्वारा स्वयं प्रस्तुत न किया जा रहा हो तो रिटर्निंग आफिसर मामले में अपने समाधान के लिये आवश्यक जांच पड़ताल करेगा।

4. (i) *निर्वाचन विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रलोभन/लालच देकर उसकी उम्मीदवारी की भ्रष्ट रूप से वापसी कराना एक भ्रष्ट आचरण है ।*

(ii) *गलत तथ्यों या छल द्वारा किसी व्यक्ति को उम्मीदवारी की वापसी का कृत्य भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 171* (च) *तथा 416 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है ।*

5. जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हों उनकी सूची रिटर्निंग आफिसर द्वारा आम लोगों की जानकारी के लिए संबधित प्ररूप में अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रदर्शित की जायेगी।

अध्याय–5

निर्वाचन लड़ने वाले आभ्यर्थियों/उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करना और प्रतीक आबंटन
(निर्वाचन नियम 32,33 तथा 34)

1. उम्मीदवारी वापस लेने का समय समाप्त होने के तत्काल बाद रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों/अभ्यथियों (अर्थात् ऐसे उम्मीदवारों, जिनके नामांकन पत्र जांच में वैध पाए गये हैं और जिन्होनें अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है) की सूचि तैयार की जायेगी।

2. सूची में प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और पता ठीक उसी प्रकार लिखा जाएगा जैसा उसने नामांकन पत्र में लिखा हो। सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि के वर्णकमानुसार तैयार की जायेगी।

3. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि तैयार हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिये जाते हैं।

4. पंच तथा सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर नहीं किये जाते हैं। अतः पंच तथा सरपंच के लिए चुनाव चिह्नों का आबंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सूची में, देवनागरी लिपि के वर्ण कमानुसार ही किया जायेगा।

*5. पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के चुनवा पार्टी आधार पर हो सकते हैं, अतः इन्ह पदों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करते समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "हरियाणा पंचायती राज चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2014" **(परिशिष्ट–2)** में वर्णित प्रकिया की अनुपालना की जाएगी, जिसका विवरण निम्न अनुसार है–*

(क) पंच/सरपंच के पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करने की प्रकिया–

पंच और सरपंच के चुनाव राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्हों के आधार पर नहीं लड़े जाते और उम्मीदवारों को उक्त पदों के लिए चुनाव चिन्ह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से आबंटित किए जाएगें । अतः उक्त पदों का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित करते समय निम्न प्रकिया अपनाई जाएगी–

उम्मीदवारी वापिस लिये जाने के पश्चात चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूचि प्ररूप 6 और 7 में तैयार करना और उसका प्रकाशित करना आवश्यक है। यह सूचि देवनागरी लिपि के वर्णकमानुसार हिन्दी में तैयार किये जाने का प्रावधान है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम कुल नाम (सरनेम) के साथ है उनके सम्बन्ध में सरनेम के प्रथम अक्षर तथा जिनके नाम सरनेम सहित न हो उनके नाम के प्रथम अक्षर के वर्णकम से लिखे जायें । प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा अन्य सम्भावित परिस्थितियों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतू निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाए–

(i) *नामांकन पत्रों की सवींक्षा का कार्य समाप्त होने के पश्चात रिटर्निंग आफिसर /सहायक रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से उसके नाम के सही–सही स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, इस स्तर पर अभ्यर्थी को यह अवसर दिया जा सकता है कि वह अपना नाम मतपत्रों पर किस रूप में चाहता है, यह स्पष्ट कर दें। यदि अभ्यर्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा जानकारी न दी जाये तो नामांकन पत्र में उसके द्वारा अपना नाम जिस रूप में लिखा गया है उसी रूप में सूचि में अंकित किया जाएगा ।*

(ii) *अभ्यर्थी का नाम हिन्दी भाषा में देवनागरी लिपि के वर्णकम अनुसार लिखा जायेगा। नामों के स्वर तथा व्यजनों का कम वही होगा जैसा कि हिन्दी वर्णमाला में दिया गया*

है । नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णकम निर्धारित किया जायेगा । यदि अभ्यर्थी अपने नाम के साथ अपना कुल नाम (सरनेम) लिखता है, तो सरनेम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णकम निर्धारित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी अपने नाम के साथ कुल नाम नहीं लिखना चाहता है, तो उस दशा में उसके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर उसका वर्णकम निर्धारित किया जायेगा ।

(iii) *यदि अभ्यर्थी का नाम आद्याक्षर/आधे अक्षर से प्रारम्भ होता है तो वर्णकम निर्धारित करते समय आद्याक्षर की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, जैसे यदि शिव कुमार अपना नाम एस0 कुमार लिखते है तो इस स्थिति में एस0 के बदले मे कु0 अक्षर के आधार पर वर्णकम निर्धारित होगा ।*

(iv) *किसी भी अभ्यर्थी के नाम के साथ आदर सूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैतृक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द या किसी उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़ने में कोई आपति नहीं है परन्तु नामों का वर्णकम व्यवस्थित करते समय इन शब्दों के प्रथमाक्षर पर ध्यान नहीं दिया जायेगा जैसे : डा0 आनन्द मोहन इन नाम को आ अक्षर (आनन्द नाम के) से आने वाले कम में लिखा जायेगा। डा0 शब्द के आधार पर नहीं ।*

(v) *पूर्ण अक्षर से आरम्भ होने वाले नाम के बाद संयुक्त अक्षर से प्रारम्भ होने वाले नाम लिखे जायेगें लेकिन उनमें भी व्यजनों का कम वर्णमाला में दर्शाये अनुसार ही रखा जायेगा, उदाहारण के लिये–*

(1) *सरला सक्सेना*

(2) *स्मिता सक्सेना*

*इस स्थिति में पहले **सरला सक्सेना** नाम लिखा जायेगा बाद में **स्मिता सक्सेना** का नाम लिखा जायेगा ।*

(vi) *संयुक्त अक्षरों से प्रारम्भ होने वाला कोई नाम यदि उच्चारण में एक जैसे प्रतीत होते है किन्तु उन नामों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सकता है जैसे–*

(1) *अम्बा प्रसाद*

(2) *अंबा प्रसाद*

*तो उपरोक्त नामों में अम्बा प्रसाद प्रथम कम में लिखा जायेगा और अंबा प्रसाद उसके बाद लिखा जायेगा क्योंकि अम्बा में प्रथम **स्वर अ** वर्णमाला में प्रथम है जबकि अंबा में **स्वर अं** वर्णमाला के अन्त में है ।*

(vii) *यदि दो अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे है तो उनके वर्णकम निर्धारित करने के लिये उनके पिता के नामों का प्रथमाक्षर ध्यान में रखा जायेगा जैसे–*

(1) *कन्छेदी लाल बाबू लाल*

(2) *कन्छेदी लाल आत्मा राम*

*उपरोक्त नामों के **कन्छेदी लाल आत्मा राम** का नाम पहले लिखा जायेगा। **कन्छेदी लाल बाबू लाल** का नाम उसके बाद लिखा जायेगा।*

(viii) *यदि दो अभ्यर्थियों का नाम तथा उनके पिता का नाम भी एक समान हो तो ऐसी दशा में उनके नामों को उनके द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्रों की तिथि एवं समय के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय कम पर लिखा जायेगा जैसे–*

(1) *बिसाउलाल केजू लाल*

(2) *बिसाउलाल केजू लाल*

उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों में यदि कम 1 पर उल्लेखित अभ्यर्थी द्वारा निर्देशन पत्र क0 2 पर उल्लेखित अभ्यर्थी के पहले प्रस्तुत किया गया है तो उसका नाम दूसरे अभ्यर्थी के पहले सूचि में लिखा जायेगा ।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी पंचायत चिन्ह वितरित करते समय नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिससे यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह वितरित करने की सूचना दे दी गई है।

उपरोक्तानुसार तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूचि जिसमें अभ्यर्थी को आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी अंकित है, की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के कार्यालय सूचना फलक पर प्रदर्शित की जाये और एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को प्रदान की जाये ।

(ख) *पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य के पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करने की प्रकिया–*

पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के चुनवा पार्टी आधार पर हो सकते हैं, अतः इन्ह पदों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करते समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "हरियाणा पंचायती राज चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2014" में वर्णित प्रकिया की अनुपालना की जाए, जिसका विवरण निम्न अनुसार है–

(ग) *राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन–*

(i) *पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी भी वार्ड के निर्वाचन में किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई उम्मीदवार उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा ।*

(ii) *पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी भी वार्ड के निर्वाचन में राज्य स्तरीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई उम्मीदवार उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा ।*

(iii) *पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी भी वार्ड के निर्वाचन मे आरक्षित प्रतीक का किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा चयन तथा उसे उसका आबंटन न किया जाएगा, जो उस राष्ट्रीय दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या उस राज्यीय दल जो हरियाणा राज्य में राज्यीय दल है, ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न हो, भले ही उस पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के उस वार्ड में ऐसे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा कोई भी उम्मीदवार खड़ा न किया गया हो ।*

(घ) *अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों/चुनाव चिन्हों का चयन और उनका आंबटन–*

(1) *पंचायत समिति व जिला परिषद के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार जोकि निम्न का सदस्य नहीं है –*

i) *राष्ट्रीय राजनैतिक दल,*

ii) *राज्य स्तरीय राजनैतिक दल (हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त), या*

iii) *आयोग की द्वारा जारी अधिसूचना {हरियाणा पंचायती राज चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश} दिनांक 13.03.2014 के पैरा 9 में वर्णित उम्मीदवार*

ऐसा उम्मीदवार वही चुनाव चिन्ह चुनेंगा या उसे वही चिन्ह आबंटित किया जाएगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से एक हो ।

(2) *जहां कि ऐसे निर्वाचन में एक मुक्त प्रतीक केवल एक उम्मीदवार द्वारा चुना गया है, वहां रिटर्निंग अधिकारी वह प्रतीक उसी अभ्यर्थी को आबंटित करेगा, न कि किसी अन्य को ।*

(3) *जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई उम्मीदवारों द्वारा एक ही मुक्त चुनाव चिन्ह चुना गया है, वहां–*

i) *यदि उन कई उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार किसी अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा शेष सभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी, यह मुक्त प्रतीक उस अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को, न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा, और यदि उन कई उम्मीदवारों में से दो या अधिक उम्मीदवार विभिन्न अमान्यता प्राप्त राजैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हैं, तथा शेष निर्दलीय उम्मीदवार हैं तो, रिटर्निंग अधिकारी, लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, उन दो या अधिक उम्मीदवारों में से किसको वह मुक्त चिन्ह आबंटित किया जाए तथा जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।*

परन्तु, जहां विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, ऐसे दो या अधिक उम्मीदवारों में से एक, ऐसे निर्वाचन से, ठीक पूर्व, यथास्थिति, पंचायत समिति अथवा जिला–परिषद का आसीन्न सदस्य है, या था (इस तथ्य पर विचार किए बिना कि पहले निर्वाचन में जब वही मुक्त ऐसा सदस्य चुना गया था, उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था अथवा कोई अन्य प्रतीक), व रिटर्निंग अधिकारी उस उम्मीदवार को, न कि किसी अन्य को वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।

ii) *यदि उन कई उम्मीदवारों में से कोई भी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा नहीं किया गया है लेकिन सभी उम्मीदवार निर्दलीय हैं, तथा उन निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक ऐसे निर्वाचन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, पंचायत समिति अथवा जिला–परिषद् का आसीन्न सदस्य है, या था, और पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था, तब उसे वही मुक्त चुनाव चिह्न/प्रतीक आबंटित किया गया था तो रिटर्निंग अधिकारी, उस उम्मीदवार को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त चुनाव चिह्न आबंटित करेगा ; तथा*

iii) *यदि उन कई उम्मीदवारों में सभी निर्दलीय हैं और कोई भी यथापूर्वोक्त आसीन सदस्य नहीं हैं या नहीं था, तो रिटर्निंग लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि उन निर्दलीय उम्मीदवारों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए, तथा जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।*

परन्तु यह कि पंचायत समिति तथा जिला–परिषद् का चुनाव लड़ रहे प्रत्येक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने नामाकंन पत्र में उस निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों में से तीन मुक्त प्रतीक प्राथमिकता के आधार पर कम वार देने होंगे।

(ङ.) *कोई उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया कब माना जाएगा–*

किसी पंचायत समिति तथा जिला–परिषद् के किसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को राजनैतिक दल द्वारा तभी और सिर्फ तभी खड़ा माना जाएगा यदि,–

(i) *उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के साथ इस आशय की एक निर्धारित घोषणा की है;*

(ii) *उम्मीदवार उस राजनैतिक दल का सदस्य है और उसका नाम दल के सदस्यों की नामावली में शामिल है;*

(iii) *राजनैतिक दल द्वारा फार्म–ख में इस आशय की सूचना नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तारीख को दोपहर तीन बजे से पहले, उस वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी को दे दी गई हो;*

(iv) *उक्त नोटिस फार्म–ख में दल के अध्यक्ष, सचिव तथा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और नोटिस भेजने वाले अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य पदाधिकारी को, उस राजनैतिक दल द्वारा ऐसी सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;*

(v) *ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नमूना हस्ताक्षर दल द्वारा फार्म–'क' में पंचायत समिति तथा जिला–परिषद् के रिटर्निंग–अधिकारी को नामांकन भरने की अन्तिम तारीख को दोपहर तीन बजे से पहले सूचित कर दिए गए हैं, और*

(vi) *फार्म–'क' और 'ख' उक्त पदाधिकारी या दल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है:*

परन्तु यह कि ऐसे किसी प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किए हुए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(च) *हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अतिरिक्त अन्य राज्यीय/केन्द्र शासित राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए रियायतें–*

हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अतिरिक्त अन्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, कोई उम्मीदवार हरियाणा राज्य में पंचायत समिति अथवा जिला–परिषद् के किसी वार्ड से खड़ा करता है तो, उस वार्ड के अन्य सभी उम्मीदवारों का अपवर्जन करते हुए, उस दल के लिए, उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में, जहां वह मान्यता प्राप्त राज्यीय दल है, आरक्षित प्रतीक, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करने पर, ऐसे उम्मीदवार को आबंटित किया जाएगा,–

i) *कि उक्त दल ने, अपने द्वारा खड़े किए उम्मीदवार को प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को, चुनावों की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर आयोग को दिया है;*

ii) *कि उक्त उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की है कि निर्वाचन में उक्त दल द्वारा उसे खड़ा किया गया है और यह कि ऐसे उम्मीदवार के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 के पैरा–11 के साथ पठित पैरा–9 के खण्ड (ख),(ग), (घ) और (ङ.) कि अपेक्षाओं को भी पूरा किया है, और*

iii) *कि राज्य निर्वाचन आयोग के विचार में ऐसे आबंटन के लिए आवेदन नामन्जूर करने का कोई उचित आधार नहीं है।*

परन्तु यह कि अगर हरियाणा राज्य में किसी राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले ही आरक्षित है तो ऐसी स्थिति में अन्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल द्वारा

पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी वार्ड से खडे किये गये उम्मीदवार पर इस पैरा में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अन्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल का प्रतीक अगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में मौजूद नहीं है, तो उक्त राज्यीय दल को ऐसे मुक्त प्रतीक की ड्राइंग/चित्र उक्त उप–पैरा (i) *में वर्णित प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा ।*

(छ) ***किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी का प्रतिस्थापन–***

किसी भी संदेह के निराकरण हेतु इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई राजनैतिक दल जिसने आयोग में जारी अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 के पैरा 9 के अधीन फार्म 'ख' में अभ्यर्थी के पक्ष में नोटिस दिया है उसे उस नोटिस का विखंडन कर सकता है और उस वार्ड के लिए फार्म 'ख' में एक संशोधित नोटिस दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में दे सकता है ।

परन्तु यह कि फार्म 'ख' में पुनरीक्षित सूचना जो स्पष्ट तौर पर उसमें यह बताती हो कि फार्म 'ख' में पूर्व सूचना रद्द कर दी गई है और नामांकन–पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे से पूर्व उस वार्ड के रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाती है और फार्म 'ख' में उक्त पुनरीक्षित सूचना पर उक्त वर्णित अधिसूचना के पैरा 9 के खंड (घ) *में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए है*

परन्तु यह और कि रिटर्निंग आफिसर को यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के संबंध में फार्म 'ख' में एक से अधिक सूचना प्राप्त होती है और राजनैतिक दल फार्म 'ख' में ऐसी सूचनाओं में यह बताने में असफल रहता है कि फार्म 'ख' में पूर्व सूचना या सूचनाएं रद्द कर दी गई है । रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के संबंध में, जिसका नामांकन–पत्र उन्हें प्रथमतः दिया गया था, फार्म 'ख' में सूचना स्वीकार करेगा और बाकी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को, जिनके संबंध में उन्होंने फार्म 'ख' में सूचना या सूचनाएं प्राप्त की थी, ऐसे राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(ज) ***विधिमान्य मनोनीत उम्मीदवारों की सूची तैयार करना–***

पंचायत समिति/जिला परिषद के किसी भी वार्ड का चुनाव लड़ रहे विधिमान्य मनोनीत उम्मीदवारों की सूची कमशः प्ररूप 8 व 9 में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा देवनागरी लिपि के वर्णकमानुसार निम्न आधार पर तैयार की जाएगी–

(i) *मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नाम,*
(ii) *पंजीकृत परन्तु अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नाम,*
(iii) *आजाद उम्मीदवारों के नाम ।*

(झ) ***मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या राज्य निर्वाचन आयोग के विधिसम्मत निर्देशों और अनुदेशों का पालन न करने पर उनके उम्मीदवार के चुनाव लडने पर रोक व आरक्षित चुनाव चिन्हों को वापिस लेने की राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति–***

यदि राज्य निर्वाचन आयोग को अपने पास उपलब्ध सूचना से संतुष्टि हो जाती है कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल आयोग द्वारा इस बारे जारी आदेशों के उपबंधों के आधीन उनकी अनुपालना करने में असफल रहता है, यह अस्वीकार करता है या अस्वीकार कर रहा है या अवज्ञ दर्शा रहा है या अन्यथा–

(i) *राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी राजनैतिक दलों और उममीदवारों के मार्ग निर्दशन के लिए आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अनुसरण करना, और*

(ii) *समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के विधिसम्मत निर्देशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन करना ताकि निष्पक्ष स्वतंत्र और शांतिपूर्वक चुनावों को बढावा मिल सकें या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके, तो राज्य निर्वाचन आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरूद्व की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के सबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन या तो चुनाव लड रहे उम्मीदवार को चुनाव लडने से रोक सकता है या उस पार्टी के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह को उस अवधि तक के लिए वापिस ले सकता है जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा करना उचित समझे ।*

परन्तु यह कि अगर राजनैतिक पार्टी द्वारा खडे किये गये उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अगर वापिस ले लिया जाता है तो वह मुक्त चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड सकता है ।

उम्मीदवार/अभ्यर्थी की पहचान पत्र

श्री/श्रीमति/कुमारी_____जिला परिषद्/पंचायत समिति /सरपंच/पंचायत _____ के वार्ड कमांक _____से निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (*रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर*)

स्थानः–

दिनांकः–

सील

आपको चाहिए कि आप यह पहचान पत्र अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि निर्वाचन के दौरान विभिन्न अवसरों पर आपको अपनी पहचान स्थापित कराने में यह काफी सहायक होगा।

अध्याय–6

अभ्यर्थियों के अभिकर्ता
(उम्मीदवारों के एजेंट)
(निर्वाचन नियम 35 से 35 घ तक)

1. ***निर्वाचन अभिकर्ता (इलैक्शन एजेंट) –***

(1) *यदि आप चाहे तो किसी व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता/इलैक्शन एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि इलैक्शन एजेंट की नियुक्ति की ही जाये। इलैक्शन एजेंट की नियुक्ति, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय की जा सकती है ।*

(2) *इलैक्शन एजेंट ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो पंच/सरपंच/पंचायत समिति/जिला परिषद् के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिये निरर्हित/अयोग्य न हो।*

(3) *इलैक्शन एजेंट की नियुक्ति **परिशिष्ट– 3** में वर्णित प्ररूप में की जायेगी। नियुक्ति पत्र रिटर्निंग आफिसर को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जो उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति पर, अनुमोदन प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करके लौटा देगा।*

(4) *आप अपने इलैक्शन एजेंट की नियुक्ति किसी भी समय रिटर्निंग आफिसर को एक हस्ताक्षारित लिखित घोषणा प्रस्तुत करके रद् कर सकते हैं । ऐसे रद्दीकरण/प्रतिसंहरण या इलैक्शन एजेंट की अक्समात् मृत्यु की स्थिति में आप दूसरे इलैक्शन एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं ।*

(5) *इलैक्शन एजेंट चुनाव सम्बन्धित कार्यों को आपके प्रतिनिधि की हैसियत से कर सकता है। उसके सारे कृत और अकृत कार्यों के लिये आपको ही जिम्मेदार माना जायेगा। वस्तुतः इलैक्शन एजेंट द्वारा किये गये किसी भ्रष्ट आचरण के लिये भी उम्मीद्वार ही दोषी माना जाता है और इस आधार पर उसका निर्वाचन रद्द भी हो सकता है । अतः इलैक्शन एजेंट के चयन में आपको पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ।*

(6) *एजेंट के प्रमुख कर्तव्य निम्नाकिंत है :–*

(क) *नामांकन पत्रों की जांच के समय उपस्थित रहना।*

(ख) *आपके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किये जाने पर रिटर्निंग आफिसर को आपकी ओर से उम्मीद्वारी वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना ।*

(ग) *मतदान के दिन आपके वार्ड के मतदान केन्द्र/मतदान केन्द्रों में पहुंचकर आपके हितों की देखभाल करना और*

(ङ) *मतगणना के दिन उपस्थित रहकर आपके हितों की देखभाल करना ।*

2. ***मतदान अभिकर्ता/पोलिंग एजेंट–***

(1) *आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे है उसमें यदि एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो मतदान के दिन आपके या आपके निर्वाचन अभिकर्ता/इलैक्शन एजेंट के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र में लगातार उपस्थित रहना कठिन होगा। अतः प्रत्येक मतदान केन्द्र में अपने हितों का ध्यान रखने के लिये आपको प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये अलग से*

एक-एक पोलिंग एजेंट नियुक्त करने का अधिकार होगा । मतदान केन्द्र के अन्दर सीमित स्थान होने के कारण किसी अभ्यर्थी की ओर से एक बार में केवल एक ही प्रतिनिधि को बैठाना सम्भव होगा। अतः यदि बीच में आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट केन्द्र के अन्दर जाये तो वह बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था की अपेक्षा न करे।

(2) *पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति आपके द्वारा या आपके इलैक्शन एजेंट द्वारा लिखित रूप में* ***परिशिष्ट–4*** *में की जायेगी। नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में भरा जायेगा और दोनों प्रतियां पोलिंग एजेंटों को दी जायेगी। पोलिंग एजेंट मतदान के लिये नियत तारीख को मतदान केन्द्र पर एक प्रति पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट/अंकित घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। इस प्रति को पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा।*

(3) *आप या आपका इलैक्शन एजेंट, किसी मतदान अभिकर्ता /पोलिंग एजेंट की नियुक्ति को लिखित रूप में की गई घोषणा के द्वारा प्रतिसंहरित / रद्द कर सकते हैं। रद्द की गई ऐसी घोषणा–*

(क) *उस दशा में जहां नियुक्ति मतदान की तारीख से पांच दिन पूर्व रद्द की जाती है, रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जायेगी, तथा*

(ख) *अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या सम्बन्धित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी ।*

(4) *मतदान अभिकर्ता /पोलिंग एजेंट को मतदान शुरू होने के लिये निर्धारित समय से कम से कम आधा घन्टा पहले निर्धारित मतदान केन्द्र पर पहुंच जाना चाहिए। इससे वह उस समय उपस्थित रह सकेगा जब पीठासीन अधिकारी मतदान कराने के लिए मतपेटी तैयार करता है। यदि मतदान प्रारम्भ करने के पूर्व की कोई कार्यवाही पूरी की जा चुकी हो तो विलम्ब से आने वाले किसी अभिकर्ता की सतुंष्टि के लिये उसे नये सिरे से नहीं किया जायेगा।*

(5) *आपके मतदान अभिकर्ता/ पोलिंग एजेंट का प्रमुख दायित्व मतदान केन्द्र पर आपके हितों की देखभाल करना है। इसके अन्तर्गत निम्नांकित कर्तव्य विशेष तौर पर उल्लेखनीय है–*

(क) *फर्जी मतदान रोकने के लिये प्रतिरक्षण अर्थात् झूठे नामधारी मतदाताओं के प्रति सावधान रहना तथा यदि ऐसा कोई व्यक्ति मतदान करने आये तो उसकी पहचान को चुनौती देना,*

(ख) *मतदान के पूर्व तथा बाद में मतपेटी/मतपेटियों को समुचित रूप से सील बन्द करवाने में सहायता करना,*

(ग) *मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी से मतपत्र लेखा की एक प्रति प्राप्त करना, और*

(घ) *यह देखना कि मतदान से सम्बन्धित कागजात विधि की अपेक्षानुसार ठीक प्रकार से सुरक्षित तथा सील बन्द कर दिये गये हैं।*

(6) *मतदान अभिकर्ता /पोलिंग एजेंट को मतदान केन्द्र पर अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जानी चाहिए–*

(क) *अपना नियुक्ति पत्र*

(ख) *मतदान केन्द्र की मतदाता सूची*

(ग) *मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतदाता सूची में सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों की सूचि जो अब जीवित नहीं है या नगर छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। (यदि पुष्टि पुष्ट जानकारी हो तो)*

(घ) *ब्रास (पीतल की) सील तथा*

(ङ) *बाल पाइन्ट पैन।*

(7) *मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर क्षेत्र के अन्दर मतदान अभिकर्ता के लिये कोई ऐसा बिल्ला (बैज) लगाना निषिद्ध (मना) है, जिसमें अभ्यर्थी या किसी राजनीतिक नेता का कोई फोटो हो तथा वोट मांगने की दृष्टि से कुछ लिखा हो। ऐसा करना एक संज्ञेय (कार्यावाही योग्य) अपराध है जिसके लिये 1000/– रूपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है ।*

3. ***गणन अभिकर्ता /काउंटिंग एजेंट–***

(1) *मतगणना के दौरान आपके हितों की देखभाल के लिये गणन अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। सामान्तः एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना के लिये एक ही गणना मेज रहेगी। यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र भी हों तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना, बारी–बारी से, उसी मेज पर की जायेगी। आपके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले काउंटिंग एजेंटों की संख्या निम्नानुसार रहेगी–*

(क) *यदि आपके वार्ड में केवल एक ही मतदान केन्द्र हो तो एक काउंटिंग एजेंट*

(ख) *यदि आपके वार्ड में दो या दो से अधिक मतदान केन्द्र हो तो दो काउंटिंग एजेंट,*

यदि आपने कोई इलैक्शन एजेंट नियुक्त न किया हो तो आपको एक और काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी ।

(2) *काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति आप या आपके इलैक्शन एजेंट द्वारा **परिशिष्ट–5** में उद्धधृत प्ररूप में दो प्रतियों में की जायेगी। एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को भेज दें तथा दूसरी प्रति काउंटिंग एजेंट /गणन अभिकर्ता को सौंप दें जो उसे मतगणना के लिये नियत तारीख को मतगणना भवन में प्रवेश पाने के लिये रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट/अंकित घोषणा पर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षर करेगा ।*

(3) *काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व कभी भी की जा सकती है। यदि मतगणना समाप्त होने के पहले ही गणन अभिकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाये तो आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता रिटर्निंग आफिसर को लिखित रिपोर्ट देकर तत्काल नए काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं ।*

आप लिखित घोषणा द्वारा अपने काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति कभी भी रद्द कर सकते हैं तथा उसके स्थान पर दूसरा काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं।

अध्याय–7

निर्वाचन अपराध, भ्रष्ट आचरण तथा चुनाव याचिका बारे

1. निर्वाचन अपराध

निर्वाचन/चुनाव की शुद्धता और स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले अनेक कार्य अपराध माने गये हैं। ऐसे आपराधिक कार्यों से आपको पूरी तरह बचना चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी और चुनाव खतरे में पड़ जायेगें। इनका सूक्ष्म विवरण निम्नानुसार है–

(क) *भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (आई.पी.सी.) के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध–*

(1) ***रिश्वत :***
किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्वेश्य से पारितोष या ईनाम देना और लेना (धारा 171–ख)

(2) ***निर्वाचन/चुनाव में अनुचित असर डालना :***
किसी मतदाता को धमकी देना या प्रलोभन देना और निर्वाचन अधिकार के निबार्ध प्रयोग में हस्तक्षेप करना (धारा 171–ग)

(3) ***निर्वाचन/चुनाव में प्रतिरूपण :***
किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे व जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करना या मत देना या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् पुनः अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करना या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिये दुष्प्रेरित करना/उकसाना (धारा 171–घ)

(4) ***निर्वाचन/चुनाव के सिलसिले में मिथ्या कथन :***
निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक आचरण या व्यवहार के सम्बन्ध में कोई ऐसा कथन करना या प्रकाशित करना जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होने की जानकारी हो या विश्वास हो (धारा 171–छ)

(5) ***निर्वाचन /चुनाव के सिलसिले में अवैध संदाय :–***
किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना ऐसा अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने के लिये सार्वजनिक सभा के आयोजन या किसी विज्ञापन आदि पर व्यय करना (धारा 171–ज)

(6) *धर्म, भाषा, जन्म, स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गो के बीच वैमनस्यता फैलाने या सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना (धारा 153–क)*

(ख) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1994 के अन्तर्गत निर्वाचन/चुनाव अपराधः*

i) ***मतदान केन्द्र में या उसके समीप प्रचार का प्रतिषेध–****हरियाणा पंचायती राज अधिनयम, 1994 की धारा 180 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान केन्द्र में उस तिथि या उन तिथियों पर, जिन पर, कोई मतदान किया जाना है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किन्हीं कृत्यों में से निम्नलिखित को नहीं करेगा, अर्थात–*

मतों के लिए प्रचार,

किसी मतदाता का मत मॉगना,

किसी मतदाता को निर्वाचन पर मत न देने के लिए प्रेरित करना,

किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए प्रेरित करना,

निर्वाचन से संबन्धित कोई नोटिस या चिन्ह कार्यालय नोटिस से भिन्न, प्रदर्शित करना,

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त अनुसार नियमों की उल्लंघना करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जोकि एक हजार रूपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

2. ***मतदान केन्द्र में या उसके समीप विषवत संचालन के लिए शास्ति***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 181 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों पर, जिन पर किसी मतदान केन्द्र पर चुनाव होता है,–*

मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के भीतर या पर या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव आवाज को परिवर्धित करने के लिए किसी संयंत्र का, जैसे कि कोई मैगाफोन या कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा या संचालित नहीं करेगा, अथवा

मतदान केन्द्र के प्रवेश–द्वार के भीतर या पर, या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मतदान केन्द्र पर मत के लिए जा रहे किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए या मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने के लिए शोर नहीं मचाएगा या अन्यथा विच्छृंखल रीति में कार्रवाई नहीं करेगा ।

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करता है या जानबूझकर उल्लंघन के लिए सहायता करता है या उकसाता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है दंडनीय होगा ।

यदि किसी मतदान केन्द्र के किसी पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर रहा है अथवा किया है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश दे सकता है तथा उस पर पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करेगा ।

कोई भी पुलिस अधिकारी उपरोक्त नियमों की उल्लंघना को रोकने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे उल्लंघन के लिए प्रयोग किए किसी संयंत्र को कब्जे में ले सकता है ।

3. ***मतदान केन्द्र पर दुराचार के लिए शास्ति***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 182 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र पर, मत के लिए नियुक्त घंटों के दौरान स्वयं दुराचार करता है अथवा पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा या ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है ।*

उपरोक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किसी मतदाता को जो उस मतदान केन्द पर मतदान के लिये अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र पर मतदान का कोई अवसर प्राप्त करने से रोकने के लिये नहीं किया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार मतदान केन्द्र से हटाया गया है, पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह दोषसिद्ध पर, जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

उपरोक्त के अनुसार दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

4. ***मतदान को गुप्त बनाये रखना*** *:– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 183 के अन्तर्गत जहां कोई निर्वाचन किया जाता है, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य*

व्यक्ति जो मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध किसी कर्तव्य का अनुपालन करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा तथा बनाये रखने में सहायता करेगा तथा (किसी विधि द्वारा या के अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिये संगणित कोई सूचना किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा ।

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है या पांच सौ रूपये के जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

5. ***निर्वाचन पर अधिकारी इत्यादि का उम्मीदवारों के लिये कार्य न करना या मतदान को प्रभावित न करना*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 184 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी है, निर्वाचन के संचालन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचनों को संभाव्यता को अग्रसर करने के लिये कोई भी कृत्य (अपना मत देने से भिन्न) नहीं करेगा ।*

यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई व्यक्ति, तथा किसी भी पुलिस बल की कोई संख्या निम्नलिखित का प्रयास नहीं करेगा–

किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का, अथवा

किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को रोकने का, अथवा

किसी निर्वाचन पर किसी भी रीति में, मतदान या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का ।

अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक हो सकती है, या एक हजार रूपये कें जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

6. ***निर्वाचन से सम्बन्ध में सरकारी कार्य का उल्लंघन****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 185 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, उसके किसी युक्तियुक्त कारण बिना अपने सरकारी कर्तव्यों के उल्लंघन में, या किसी कार्य या लोप का दोषी है, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

ऐसे व्यक्ति जिनको यह धारा लागू होती है, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा कोई अन्य व्यक्ति हो, जो मतदान सूचि के रखरखाव, नामांकनों की प्राप्ति या उम्मीदवारी वापिस लेने या अभिलेखन या किसी निर्वाचन में मतों की संगणना से सम्बन्धित किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिये नियुक्त किये गये हैं तथा "सरकारी कर्तव्य" पद का अर्थ इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार लगाया जायेगा, लेकिन इसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के द्वारा या अधीन से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य शामिल नहीं है ।

7. ***मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होना****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र से बाहर कपट से कोई मतपत्र ले जाता है, या ले जाने का प्रयत्न करता है या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने में सहायता करता है, या करने के लिये उकसाता है, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।*

यदि किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति उपरोक्तानुसार दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या किया है, ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले, गिरफतार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये निर्देश दे सकता है तथा ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है ।

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी करवाई जानी आवश्यक हो तो तलाशी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का सख्त ध्यान रखते हुये की जायेगी ।

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी पर पाया गया कोई मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सौंप दिया जायेगा अथवा जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जाती है, ऐसे अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा ।

उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

8. ***अन्य अपराध और उसके लिये शास्तियां****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 187 (1) के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी होगा, यदि वह किसी निर्वाचन पर –*

(क) किसी नामांकन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा

(ख) किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई सूचि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा हटाता है, अथवा

(ग) किसी मतपत्र अथवा किसी मतपत्र पर सरकारी चिन्ह को कपटपूर्वक विरूपित करता है अथवा नष्ट करता है, अथवा

(घ) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी मतपत्र को किसी व्यक्ति को सप्लाई करता है, अथवा

(ङ) किसी मतपत्र से भिन्न किसी वस्तु को कपटपूर्वक किसी मतपेटी में डालता है जो उसमें डाला जाना विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना निर्वाचन के प्रयोजन के लिये तब उपयोग में किसी मतपेटी अथवा मतपत्र को नष्ट करता है, लेता है, खोलता है, अथवा अन्यथा दखल देता है, और

(छ) कपटपूर्वक अथवा प्राधिकार के बिना, जैसी भी स्थिति हो, किसी पूर्वगामी कार्यों को करने का यत्न करता है अथवा ऐसे कार्यों को करने में जानबूझकर सहायता करता है अथवा दुष्प्रेरित करता है या तथा

(ज) नामांकन भरते समय, यथास्थिति, मिथ्या घोषणा करता है या शपथ–पत्र में मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करता है या कोई सूचना छुपाता है।

धारा 187 (2) के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई व्यक्ति–

(क) यदि वह किसी मतदान केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी अथवा कोई पीठासीन अधिकारी है अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध में सरकारी डॅयूटी पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी है, दोषसिद्धि पर किसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकती है अथवा एक हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, दोषसिद्ध पर किसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक हो सकती है अथवा पांच सौ रूपये जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर समझा जायेगा यदि उसकी डॅयूटी किसी निर्वाचन अथवा निर्वाचन के किसी भाग के संचालन में, भाग लेने के लिये है, जिसमें ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग किये गये मतपत्रो अथवा अन्य दस्तावेजों के लिये मतगणना अथवा निर्वाचन के बाद उतरदायी होना शामिल है, किन्तु "सरकारी डॅयूटी" अभिव्यक्ति में इस अधिनियिम द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई डॅयूटी शामिल नहीं है ।

उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

9. चुनाव याचिका (कोर्ट केस) दायर करने बारे

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176–निर्वाचन की विधिमान्यता का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा जांच और प्रकिया –यदि किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के किसी सदस्य या ग्राम पंचायत के सरपंच कमशः पंचायत समिति या जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान के निर्वाचन की विधिमान्यता को चुनाव लड़ रहे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी से निर्वाचन में जिसके प्रश्न संबंधित हों, मत देने के लिए योग्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति, निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तिथि के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय, ऐसे प्रशन के निर्धारण के लिए, ऐसे क्षेत्र में जिसके भीतर निर्वाचन कराया गया है या कराया जाना चाहिए था सामान्य अधिकारिता के सिविल न्यायालय को को एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय–8

निर्वाचन/चुनाव अभियान

1. उम्मीदवारी/अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख तथा मतदान की तारीख के बीच कम से कम 7 दिन का अन्तराल होगा। इस अवधि के दौरान आप अपना चुनाव अभियान चलाने के लिये स्वतन्त्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था और भावनाओं की सम्पुष्टि के लिये निर्वाचन अभियान का संचालन सौम्यता और शालीनता से, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा के वातावरण में किया जाना चाहिए।

2. अभियान के संचालन के प्रारम्भ में आपको अपने कार्यकर्ताओं को निर्वाचन कानून तथा नियमों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि वे ऐसा कोई कार्य न करे जो निर्वाचन अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण की परिधि में आता हो या जिससे आचरण संहिता का उल्लंघन होता हो । अन्यथा आपका निर्वाचन संकट में पड़ जायेगा। यदि आपकी जानकारी में कानून तथा नियमों के उल्लंघन की अथवा भ्रष्ट आचरण की कोई घटना आए तो उसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर या उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को दें। शिकायतें सत्यापित तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, कही सुनी तुच्छ या झूठीं बातों पर नहीं ।

3. मतदाताओं को मतदान के दिन की प्रकिया के बारे में शिक्षित करने के उद्धेश्य से आप पूर्व अभ्यास या प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर सकते हैं । इस हेतू आप अपने नाम तथा प्रतीक का उपयोग करते हुये तथा उसमें वह स्थान दर्शाते हुये जंहा पर वास्तविक मतपत्र में वह प्रतीक होगा, डम्मी (नमूने के) मतपत्र भी छपवा सकते हैं । तथापि डम्मी मतपत्रों में निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले अन्य अभ्यर्थियों के असली नाम तथा प्रतीक नहीं होने चाहिए और न ही उनका रंग वास्तविक मतपत्रों का सा (अर्थात् उनके रंग के समान) होना चाहिए। मतदाताओं को जानकारी देने के उद्धेश्य से आप अपने प्रतीक की प्रतियां मुद्रित करवा सकते हैं तथा उन्हें बटवा भी सकते हैं, परन्तु मतदाताओं को साथ में यह समझा दें कि वे प्रतीक के पर्चे मतदान केन्द्र पर न ले जायें।

4. चुनाव अभियान के दौरान आपके कार्यकर्ताओं को यह पता लग सकता है कि मतदाता सूचि में कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो उस स्थान को छोड़ चुके हैं या असली व्यक्ति नहीं हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि वे ऐसे मृत अनुपस्थित या जाली मतदाताओं की सूची बनायें। इस प्रकार की सूची आप मतदान की तारीख के कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को दे दें । और साथ में ऐसी सूची की एक प्रति सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर नियुक्ति किये जाने वाले अपने मतदान अभिकर्ता को भी उपलब्ध करवायें ताकि मतदान के दिन वह ऐसे किसी मतदाता के नाम से मत देने के लिये आने वाले व्यक्ति के उपर नजर रख सके। इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिये कि सूची में किसी वास्तविक मतदाता का नाम सम्मिलित न हो।

5. यदि मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाये तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट (काउटरमैन्ड/रद्द) नहीं किया जायेगा, सिवाय उस दशा के जबकि ऐसी मृत्यु के फलस्वरूप निर्वाचन लड़ने में केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाये। मतदान रद्द हो जाने पर चुनाव की समस्त कार्यवाही नये सिरे से उसी प्रकार प्रारम्भ की जायेगी जैसे कि वह नये चुनाव के लिये की जाती है परन्तु–

(क) ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान रद्द किये जाने के समय चुनाव/निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, आगे पुनः नामांकन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मतदान रद्द किये जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी हो, नये निर्वाचन के लिये नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये अपात्र नहीं होगा।

6. मतदान की तारीख के एक दिन पूर्व (की अवधि के दौरान) कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जायेगी। इस उपबन्ध के पालन का ध्यान रखें।

7. मतदान के दिन आपको केवल नियमानुसार एक या दो वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी–

(क) आपके लिये–एक वाहन

(ख) आपके निर्वाचन अभिकर्ता तथा कार्यकर्ताओं के लिये–एक वाहन

*इन वाहनों के लिये आप रिटर्निंग आफिसर से मतदान के कम से कम दो दिन पूर्व परमिट प्राप्त कर लें। परमिट को, जिस पर मोटे अक्षरों में **निर्वाचन परमिट** मुद्रित होगा तथा जिस पर रिटर्निंग आफिसर की मोहर और हस्ताक्षर रहेंगे, वाहनों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।*

PROFORMA
PANCHAYAT GENERAL / BYE-ELECTION, 20

Permit No._____

Zila Parishad/ Panchayat Samiti / Gram Panchayat _____

Name of Candidate _____

Ward No. _____ Vehicle Number _____

Returing Officer (P)

(Seal)

अध्याय–9

मतदान

1. वार्ड के मतदाताओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक वार्ड में पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। यदि किसी सभा क्षेत्र में प्रति वार्ड मतदाताओं की औसत संख्या 500 तक हो वहां एक ही मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा। प्रति वार्ड औसत मतदाता संख्या 500 से 1000 के बीच होने पर दो मतदान केन्द्र और इसी प्रकार मतदाताओं की संख्या और अधिक होने पर दो से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किये जायेगें।

2. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान की तारीख से कम से कम 20 दिन पूर्व मतदान केन्द्रों की एक सूची प्रकाशित की जायेगी जिसमें प्रत्येक मतदान केन्द्र से सम्बन्ध क्षेत्र (अर्थात् मोहल्ला, गली आदि जिसके लिये वह केन्द्र बनाया गया है) दर्शाया जायेगा। यदि अपरिहार्य (जिसे टाला ना जा सके) कारणों से मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के बाद किसी मतदान केन्द्र के स्थान में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाये तो उसके लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे परिवर्तित/बदले गये केन्द्रों के बारे में अभ्यर्थियों/उम्मीदवारों को भी लिखित में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

3. मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी सार्वजनिक अथवा निजी स्थान में निम्नलिखित कार्य करना निषिद्ध है–

(क) मतों के लिये संयाचना (मांग), किसी मतदाता से उसके मत की याचना करना या किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने हेतू मनाना या निर्वाचन में मत न देने के लिये मनाना ।

(ख) निर्वाचन/चुनाव से सम्बन्धित कोई सूचना या संकेत (शासकीय सूचना से भिन्न) प्रदर्शित करना।

(ग) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आस पास के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग करना या चिल्लाना या कोई अन्य उच्छृंखल या प्रतिषिद्ध (निषिद्व)कार्य करना । यदि कोई लाउडस्पीकर या मैगोफोन 100 मीटर से अधिक की दूरी पर भी उपयोग में लाया जा रहा हो परन्तु उसकी आवाज से मतदान केन्द्र में कर्तव्यस्थ अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप होता है तो भी वह निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आयेगा।

4. अभ्यर्थी/उम्मीदवार मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने के लिये व्यवस्था कर सकते हैं । पहचान पर्ची में न तो उम्मीदवार का नाम होना चाहिए और न ही उसका निर्वाचन प्रतीक या कोई नारा या किसी व्यक्ति का चित्र बना होना चाहिए। उसमें केवल मतदाता का नाम, उसकी आयु, पिता/पति का नाम तथा मतदाता सूचि (या उसके भाग अनुक्रमांक) में उसके (मतदाता के) कमांक का उल्लेख रहना चाहिए।

5. चुनाव मतपेटी द्वारा होने की स्थिति में अलग–2 पदों के लिये मतपत्र सफेद पेपर पर अलग–2 रंगों में होंगे, जैसे कि–

(क) पंच के लिये –काला

(ख) सरपंच के लिये–नीला

(ग) पंचायत समिति के लिये–पीला

(घ) जिला परिषद् के लिये–लाल

प्रत्येक मतपत्र और उसके प्रतिपूर्ण (कांउटर फाईल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जायेगा। मतपत्र

के पीछे, मतदान केन्द्र की पहचान के लिये रबर की सुभेदक मोहर लगाई जायेगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगें।

6. मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान अधिकारियों तथा मतदान अभिकर्ताओं/एजंटों के बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर तथा भीतर निम्नलिखित सूचनायें प्रमुखतः प्रदर्शित की जायेगी –

(क) विनिर्दिष्ट/निर्धारित क्षेत्र, जिसके मतदाता, मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हों।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उम्मीदवारों के नामों की सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आबंटित निर्वाचन चिन्ह भी दर्शाया गया हो ।

8. चुनाव मतपेटी से होने की स्थिति में मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व, मतपेटी तैयार करने का कार्य 20 मिनट पहले प्रारम्भ कर दिया जायेगा जो अभ्यर्थी या उनके इलैक्शन/पोलिंग एजेंट मौके पर उपस्थित हो, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा और यह दिखाया जायेगा कि मतपेटी रिक्त हैं तथा उसके अन्दर कुछ भी नहीं है । तत्पश्चात् जिस टाईप की मतपेटी मतदान केन्द्र को दी गई है उस टाईप के लिये निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुये मतपेटी तैयार की जायेगी। गोदरेज टाईप मतपेटी में निर्धारित प्रकिया के अनुसार एक सादी पेपर सील लगाई जायेगी। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके इलैक्शन/पोलिंग एजेंटों को अपने हस्ताक्षर करने का अवसर दिया जायेगा और स्वयं पीठासीन अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर करेगा। मतपेटी को सील बन्द करने के पूर्व उसके अन्दर एक पते की चिट (अर्थात् वह किस वार्ड और किस मतदान केन्द्र की है) भी डाली जायेगी।

9. मतदान का समय आयोग द्वारा निर्धारित समय अनुसार ही होगा । मतदान केन्द्र पर एकत्र मतदाताओं को पंक्तिबद्ध/लाईन में खड़े करने की व्यवस्था की जायेगी और पंक्ति में से बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं की सीमित संख्या से केन्द्र के भीतर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसी महिलाओं को जिनके गोद में बच्चे हों, प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी।

10. पहली मतपेटी के भरते ही दूसरी मतपेटी उपयोग के लिये तैयार कर दी जायेगी। पहली मतपेटी के भर जाने पर, उसे निर्धारित प्रकिया के अनुसार बन्द कर के सील कर दिया जायेगा। मतदान बन्द होते समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी उसे भी उसी हालत में सील बन्द किया जायेगा।

मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी को सील बन्द करते समय यदि कोई अभ्यर्थी या उसका इलैक्शन/पोलिंग एजेंट अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

11. पीठासीन अधिकारी मतदान का समय समाप्त होने के ठीक 5 मिनट पहले मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से बाहर यह घोषणा करेगा कि मतदान के लिये केवल 5 मिनट का समय शेष है, अतः मतदान केन्द्र के परिसर में (अर्थात् आस पास) जो भी लोग मतदान करने के इच्छुक हो वे एक पंक्ति में खड़े हो जाये। ठीक मतदान समापन के समय पर, वह पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को, पंक्ति के अंतिम छोर से आरम्भ करते हुये अपने हस्ताक्षर वाली पर्चिया बांट देगा और उसके बाद किसी व्यक्ति को पंक्ति में शामिल नहीं होने देगा। अर्थात् मतदान समापन के समय के बाद केवल ऐसे मतदाताओं को ही मतदान करने की आज्ञा होगी जिनके पास उक्त पर्चियां हो। मतदान तभी समाप्त घोषित किया जायेगा जब इस प्रकार प्राधिकृत अंतिम मतदाता ने अपना मत डाल दिया हो ।

12. मतदान अभिकर्ता /पोलिंग एजेंट को किसी मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की क्रम संख्या नोट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मत की गोपनीयता भंग हो सकती है । पीठासीन अधिकारी को इस बात के लिये प्राधिकृत किया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा विवरण नोट करने से रोके तथा ऐसे कागजात को जिसमें किसी मतदान अभिकर्ता / पोलिंग एजेंट ने ऐसा विवरण नोट किया हो, जब्त कर ले। यदि चेतावनी के बावजूद भी कोई मतदान अभिकर्ता ऐसा विवरण नोट

करेगा जो उसे उसके कदाचार के लिये मतदान केन्द्र के अन्दर नहीं रहने दिया जायेगा। मतदान अभिकर्ता/ पोलिंग एजेंट केवल इस बात की अनुमति है कि वह मतदाता सूची की अपनी प्रति में उन मतदाताओं के नामों के सामने केवल सही का निशान (√) लगा ले जिन्हें मतपत्र जारी किये जाएं । मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिये पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह मतपत्रों की कम संख्या के अनुसार एक के बाद एक जारी न करे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को जारी किये गये मतपत्र की कम संख्या का अनुमान न लगा सके ।

13. अंधेपन या शारीरिक अपंगता के कारण यदि कोई मतदाता मतपत्र पर बने चुनाव प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उन पर चिन्ह लगाने में या मतपत्र को मतपेटी में डालने में असमर्थ हो तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे एक व्यक्ति (साथी), जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, अपने साथ मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति दी जायेगी ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार (अपने साथी से) मतपत्र पर चिन्ह लगवा सके तथा उसे मतपेटी में डलवा सके। परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदाता के साथी के रूप में सहायता करने वाले व्यक्ति को अनुमति देने के पूर्व उससे एक घोषणा भराई जायेगी कि उसने उस दिन अन्य किसी मतदाता के साथी के तौर पर कार्य नहीं किया है तथा वह मतदाता की ओर से किये गये मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा।

14. (क) यदि कोई मतदाता ऐसी असावधानी से, जिसके पीछे उसकी दुर्भावना न हो, अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उसके सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी अपना समाधान कर लेने पश्चात् उसे दूसरा मतपत्र दे सकता है । इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर "खराब रद् किया गया" शब्द अंकित करके उसे अलग रखा जायेगा।

(ख) मतपत्र प्राप्त करने के बाद यदि कोई मतदाता उसका उपयोग न करना चाहे और उसे लौटाना चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे भी ले लेगा। इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर "लौटाया गया–रदद् किया गया" शब्द अंकित करते हुये उसे भी अलग रखा जायेगा।

(ग) मतदाता को जारी कोई मतपत्र उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाये और ऐसा मतपत्र मतदान केन्द्र में या उसके किसी भी स्थान पर पाया जाये तो उसे "लौटाया गया–रदद् किया गया" समझा जायेगा और उसके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) यदि कोई मतपत्र जो कि मतदाता को जारी किया हुआ है, उसके द्वारा उस पद की मतपेटी में नहीं डाला जाता, जिस पद के लिए वह मतदान करना चाहता है और अन्य किसी पद (पदों) की मतपेटी में डाल दिया जाता है तो ऐसे मतपत्र को खारिज समझा जाएगा ।

15. किसी मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति/अभ्याक्षेप करने की प्रकिया निम्नानुसार है –

(1) मतदाता अधिकारी कमांक 1 के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाता से सम्बन्धित मतदाता सूची की प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा की जायेगी। इस दौरान यदि किसी मतदान अभिकर्ता/पोलिंग एजेंट द्वारा उसकी पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति न की जाये तो मतदान अधिकारी मतदाता सूचि में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा उसके बांयें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगायेगा। निशान लगा देने के बाद की गई किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा करने के पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाये तो पीठासीन अधिकारी उस मामले में आगे कार्यवाही हेतू उसे अपने पास ले लेगा और मतदान अधिकारी कमांक –1 अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्यवाही जारी रखेगा।

(2) किसी व्यक्ति के मतदाता होने के सम्बन्ध में की गई आपत्ति पर तभी विचार किया जायेगा जबकि आपत्तिकर्ता ऐसी आपत्ति के लिये पीठासीन अधिकारी के पास पहले नगद पांच रूपये की धनराशि जमा करे। ऐसी जमा राशि के लिये रसीद दी जायेगी।

(3) *राशि जमा कर दिये जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी ।*

(*क*) *जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है उसे प्रतिरूपण करने के लिये (अर्थात् जो वह नहीं है वह बताने के लिये) यह चेतावनी दी जायेगी कि ऐसा कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 171–एफ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।*

(*ख*) *उसे मतदाता सूचि संगत प्रविष्टि पूरी तरह पढ़कर सुनाई जायेगी और यह पूछा जायेगा कि क्या वह वही व्यक्ति है? यदि वह हां कहे तो उसका नाम और पता अभ्याक्षेपित/आरोपित मतों की सूची दर्ज किया जायेगा तथा उसे उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने को कहा जायेगा।*

(*ग*) *उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् आपति के सम्बन्ध में निम्नानुसार संक्षिप्त जांच की जायेगी–*

(1) *आपत्तिकर्ता से जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आपति उठाई है, उसे वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा,*

(2) *जिस व्यक्ति के बारे में आपत्ति उठाई गई है उससे वही व्यक्ति होने के बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा। इस हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने समाधान के लिये उससे आवश्यक प्रश्न पूछे जायेगें जैसे कि वह उस वार्ड में कब से रह रहा है, क्या करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कौन है, मकान का किराया कितना है, मकान मालिक कौन है और क्या करता है, वार्ड के प्रमुख व्यक्ति कौन–2 हैं आदि।*

(3) *पक्ष–विपक्ष में साक्ष्य देने के लिये उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी व्यक्ति से भी पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा सकती है ।*

(4) *उपर्युक्त पूछताछ पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ पत्र पर ब्यान लेकर की जा सकती है ।*

(5) *जांच करने के बाद यदि पीठासीन अधिकारी उठाई गई आपत्ति को सही होना पाये तो सम्बन्धित व्यक्ति को मतपत्र नहीं दिया जायेगा और आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि लौटा दी जायेगी और साथ ही प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति (अर्थात् जो वह नहीं है वह बताने के लिये) के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने के लिये उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा ।*

(6) *जांच करने के बाद यदि उठाई गई आपति का सही होना न पाया जाये तो सम्बन्धित व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जायेगी तथा आपत्तिकर्ता द्वारा जमा की गई राशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।*

16. *यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुये मतपत्र की मांग करे और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछेगा, जिससे उसे सन्तुष्टि हो जाये वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। अतः ऐसे व्यक्ति को मतपत्र जारी किया जायेगा परन्तु उसके मतपत्र, मताकंन के बाद, मतपेटी में नहीं डलवाया जायेगा। ऐसा मतपत्र, जिसे निविदत मतपत्र /टैण्डर्ड बेलट पेपर कहते हैं, पीठासीन अधिकारी अपनी सपुर्दगी में ले लेगा तथा उसे इस प्रयोजन के लिये अलग से दिये गये लिफाफे में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर निविदत मतपत्रों के लिफाफे को सील बन्द कर दिया जायेगा।*

17. मतदान बन्द होने के बाद, तब उपयोग में लाई जा रही मतपेटी, निर्धारित प्रकिया के अनुसार सबसे पहले बन्द की जायेगी। वहां उपस्थित मतदान अभिकर्ता /पोलिंग एजेंट यदि चाहे तो उस पर अपनी सील भी लगा सकते हैं । इसके बाद मतपेटी/मतपेटियां मजबूत कपड़े के ऐसे थैले में रखी जायेगी जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि उसे मजबूत रस्से या अन्य प्रकार से बन्द किया जा सकता हो और उस थैले को पीठासीन अधिकारी द्वारा सील बन्द कर दिया जायेगा ।

*18. मतपेटी को सीलबन्द करने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–6** (प्ररूप 13) मतपत्र लेखा तैयार किया जायेगा और उसकी एक अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मतदान केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता/पोलिंग एजेंट को दी जायेगी। मतपत्र–लेखा भाग एक की प्रतिलिपि की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता से **परिशिष्ट–7** में हस्ताक्षर भी कराये जायेगें ।*

19. प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/इलैक्शन एजेंट या उसका मतदान अभिकर्ता/पोलिंग एजेंट जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हो, उन लिफाफे और पैकेटों पर अपनी मुहर लगा सकेगा। जिनमें निम्नालिखित दस्तावेज रखे हो:–

(1) *उपयोग में न लाये गये मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण,*

(2) *निविदत मतपत्र और तैयार की गई निविदित मतों की सूचि,*

(3) *लौटाये गये तथा रद्द किये गये मतपत्र,*

(4) *मतदाता सूचि की चिह्नित प्रति,*

(5) *हस्ताक्षर किये गये परन्तु प्रयोग में न लाये गये मतपत्र, उनके प्रतिपर्ण सहित यदि कोई हो,*

(6) *अभ्याक्षेपित मतों की सूचि,*

(7) *उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण, और*

(8) *अन्य कोई ऐसे कागज पत्र जिनके बारे में रिटर्निंग आफिसर ने निर्देश दिया हो कि वे एक सील बन्द पैकेट में रखे जायें।*

यह आप ही के हित में है कि आप अपने मतदान अभिकर्ता /पोलिंग एजेंट को यह सलाह दें कि वह उक्त पैकेटों पर अपनी सील लगाये ताकि उनके साथ हेर–फेर किये जाने की शिकायत की कोई गुजांयश न रहे ।

20. मतदान की समाप्ति पर मतपेटियां पूर्व से निर्धारित भण्डारण के स्थान पर ले जाई जायेगीं और उन्हे गणना के स्थान पर ले जाने के समय तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। आप चाहे तो मतपेटी के साथ लौट रहे मतदान दलों के साथ अपने इलैक्शन/पोलिंग एजेंट को भी भेज सकते है परन्तु आपको उनके परिवहन की व्यवस्था अलग से करनी होगी, क्योंकि उन्हे सरकारी वाहन में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि आप चाहे तो आप उस स्थान की जंहा मतपेटियां रखी गई है, चौकसी करने के लिये अपना एक अभिकर्ता तैनात कर सकते हैं। उस अभिकर्ता को उस कक्ष के दरवाजे तथा खिड़कियों पर, जिसमें मतपेटियां रखी गई है, रिटर्निंग आफिसर द्वारा लगाई जाने वाली सील के अतिरिक्त, अपनी सील लगाने की भी अनुमति दी जायेगी। सभी मतपेटियां के प्राप्त हो जाने और रख दिये जाने तथा उस कक्ष में ताला लगा दिये जाने के बाद, मतगणना के लिये नियत तारीख की सुबह तक किसी को भी उस कक्ष के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि इस बीच उस कमरे को किसी कारणवश खोलना पड़े तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिये आपको सूचना दी जायेगी और आपकी या आपके अभिकर्ता की उपस्थिति में ही उस कमरे को खोला जायेगा। जिस

प्रयोजन के लिये कमरा खोला गया है उस प्रयोजन के पूरा हो जाने के तुरन्त पश्चात् आपके अभिकर्ता को दरवाजे और खिड़कियों को पुनः सील करने की अनुमति दी जायेगी। एक लॉग बुक भी रखी जायेगी, जिसमें कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों, प्रवेश करने का प्रयोजन, प्रवेश का समय और उसके बाहर आने का समय इत्यादि का पूरा विवरण अंकित किया जायेगा। कक्ष में जब तक मतपेटियां रहेगी उसके सशस्त्र पहरे की समुचित व्यस्था की जायेगी । यदि आप चाहे तो अपनी ओर से भी उस कक्ष के बाहर अपना एक अभिकर्ता तैनात कर सकते हैं परन्तु ऐसे व्यक्ति को अपने पास अस्त्र या शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21. पंचों तथा सरपंचों की मतगणना पोलिंग बूथ पर ही की जायेगी ।

अध्याय–10

विशेष परिस्थितियों में मतदान का स्थगन तथा पुनर्मतदान

1. यद्यपि मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थायें की जाती हैं, फिर भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनमें मतदान की कार्यवाही जारी रखना सम्भव न हो। मतदान केन्द्र पर खुली हिंसा, बलवा आदि के कारण या आग लगने, तेज आंधी व बारिश हो जाने आदि आपदाओं के कारण मतदान की प्रकिया रूक सकती है । मात्र अल्पकालिक (कुछ समय) वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं होगा। यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाये जिससे मतदान आगे जारी रखना सम्भव न हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान रोक देगा और इस आशय की औपचारिक घोषणा मतदान केन्द्र में सभी उपस्थित अभिकर्ताओं के समक्ष करेगा। मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की सूचना दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके इलैक्शन/पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रदर्शित (चस्पा) करेगा ।

2. मतदान स्थगित किये जाने पर मतपेटी को (जिसमें कि मतदान रोकने के समय तक मतपत्र डाले जा रहे थे) ठीक उसी प्रकार सील कर दिया जायेगा, जिस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में मतदान पूर्ण होने के पश्चात किया जाता है। इस मतपेटी को पूर्व में मतपत्रों से भरी तथा सील की गई अन्य मतपेटी के साथ (यदि कोई हो तो) सुरक्षित रख दिया जायेगा। वस्तुतः इसके बाद मतपत्र लेखा तैयार करने, अन्य पैकटो की सील बन्द करने तथा मतपेटियों, पैकटो आदि को रिटर्निंग आफिसर को सौपने की कार्यवाहियां यथा साध्य ठीक उसी प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार मतदान शांतिपूर्ण ढग से सम्पन्न होने के पश्चात की जाती है ।

3. स्थगित किया गया मतदान केवल राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार ही पुनः प्रारम्भ किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित पुनर्मतदान/दोबारा मतदान की तारीख की सूचना रिटरर्निंग आफिसर द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी। पुनर्मतदान के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूचि को चिह्नांकित/मार्क प्रति (जो कि मतदान अधिकारी क्रमांक–1 के पास रहती है) के मूल सील बन्द पैकेट के साथ एक नई मतपेटी तथा अन्य सामग्री पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। मतदान पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित अभिकर्ताओं के समक्ष मतदाता सूचि की चिह्नांकित प्रति का सील बन्द पैकेट खोला जायेगा तथा मतदान के लिये मतपत्र तैयार करने के बाद आगे मतदान कराया जायेगा। उन मतदाताओं को जिन्होनें मतदान के स्थगन के समय तक अपना मत दे दिया हो, फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस प्रकार कराये गये पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां ठीक उसी प्रकार से की जायेगी जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में कराये जाने वाले मतदान के लिये की जाती हैं ।

4. मतदान केन्द्र पर जबरन कब्जा किये जाने, मतपेटी विनष्ट (नष्ट) किये जाने आदि मामलों में कार्यवाही– मतदान केन्द्र पर बलवा, हिंसा, उपद्रव के कारण या केन्द्र का बलात् ग्रहण (बूथ कैपचरिंग) किये जाने की स्थिति में, यदि उपयोग में लाई गई मतपेटी/पेटियों को नष्ट करने या फैंक देने या उनकी सील तोड़ देने या उन्हें पीठासीन अधिकारी के नियन्त्रण से छीनकर बाहर ले जाने का कृत्य/कार्य किया जाये या केन्द्र के मतपत्रों पर घूमते हुये तीरों वाली मतांकन (मत पर अंकित करनेवाली) की मोहर लगाकर उन्हें जबरन मतपेटी में डाल दिया जाये या मतदाता सूचि की चिह्नांकित प्रति फाड़ दी जाये तो स्पष्ट है कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान दूषित हो जायेगा और मतदान का परिणाम अभिनिश्चित कराना सम्भव नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान स्थगित कर दिया जायेगा और स्थगन के सम्बन्ध में औपचारिक घोषणा की जायेगी। यह घोषणा दो प्रतियों में तैयार की जायेगी, जिसमें से एक प्रति पर मतदान केन्द्र में उपस्थिति इलैक्शन/पोलिंग एजेंट

के हस्ताक्षर करवाकर पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेगा तथा दूसरी प्रति केन्द्र पर सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रदर्शित करेगा।

इस पैरा में वर्णित परिस्थितियों के कारण स्थगित किये गये मतदान के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अर्थात् केलैक्टर के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा। आयोग समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यदि आवश्यक हो तो –

(क) *उस मतदान केन्द्र में हुये मतदान को रद्द घोषित करेगा और*

(ख) *नए सिरे से मतदान के लिये औपचारिक रूप से तारीख और समय निर्धारित करेगा।*

आयोग से सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर आपको नये मतदान के लिये निर्धारित तारीख समय तथा स्थान की सूचना देगा और इस सम्बन्ध में उस मतदान क्षेत्र में मुनादी कराके या किसी अन्य प्रकार से आम लोगों को भी जानकारी देगा।

अध्याय–11

मतों की गणना

1. मतगणना के लिये नियत तारीख, स्थान और समय का उल्लेख निर्वाचन नियम 24 के अन्तर्गत जारी की गई सूचना में किया जाता है यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो रिटर्निंग आफिसर आपको या आपके इलैक्शन एजेंट को समय पर लिखित में सूचना भेजकर अवगत करवायेगा।

2. जिला परिषद/पंचायत समिति के विभिन्न वार्डों की मतगणना एक ही दिन और यथा सम्भव एक ही स्थान पर की जायेगी और गणना कार्य उसी दिन पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिये एक या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा आवश्यक संख्या में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक नियुक्त किये जायेगें।

3. एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जायेगी। यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र भी हो तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी–बारी से उसी मेज पर की जायेगी।

4. गणना मेज पर गणना की देख रेख करने के लिये आप या आपके निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट निम्नानुसार गणन अभिकर्ताओं/एजेंटों को नियुक्त कर सकते हैं–

(1) *यदि आपके वार्ड में केवल एक ही मतदान केन्द्र हो, तो आप केवल एक गणना अभिकर्ता/एजेंट नियुक्त कर सकते हैं । रिटर्निंग आफिसर की मेज पर आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट उपस्थित रह सकते हैं। वार्ड के एक मात्र मतदान केन्द्र में डाले गये मतों की गणना पूर्ण हो जाने पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा माने गये 'संदिग्ध–मतपत्रों की जांच सहायक रिटर्निंग आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की मेज पर की जायेगी। तब आपका गणना अभिकर्ता भी मुक्त हो चुका होगा अतः वह आसानी से सहायक रिटर्निंग आफिसर की मेज पर संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा और गणना कार्य देख सकता है । अतः केवल एक मतदान केन्द्र वाले वार्ड से सम्बन्धित मतपत्रों की गणना के लिये एक मतदान अभिकर्ता पर्याप्त हैं।*

(2) *यदि आपके वार्ड में 2 या उससे अधिक मतदान केन्द्र हो तो आप एक अतिरिक्त गणना अभिकर्ता /एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। अतिरिक्त गणन अभिकर्ता सहायक रिटर्निंग आफिसर/रिटर्निंग आफिसर की मेज पर गणना कार्य की देख रेख के लिये हैं, जहां पर कि बारी–बारी से वार्ड के विभिन्न मतदान केन्द्रों से सम्बन्धित, संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी।*

(3) *यदि आपने कोई निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट नियुक्त न किया हो तो आपको उपर बताई गई संख्या में एक अधिक गणन अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी।*

(4) *गणन अभिकर्ता के नामों की सूचि मतगणना की तारीख से कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को भेज दें, ताकि वे उनके बिल्ले (बैज) या पास बनाकर तैयार रख सकें। मतगणना के दिन गणन अभिकर्ताओं को मतगणना प्रारम्भ होने के समय से कम से कम एक घन्टा पहले मतगणना स्थल पर पहूंच जाना चाहिए।*

(5) *गणन अभिकर्ता/एजेंट द्वारा अपना नियुक्ति पत्र रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किये जाने तथा उसमें अतंर्विष्ट धोषणा पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उसे एक बिल्ला या पास दिया जायेगा, जिसमें यह दर्शाया जायेगा कि वह किस अभ्यर्थी का अभिकर्ता/एजेंट है तथा उस मेज की कम संख्या क्या है जिस पर वह गणना देखेगा।*

5. गणन अभिकर्ता को आबंटित मेज से हटकर हाल में इधर–उधर घूमने/फिरने की अनुमति नहीं होगी और उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह अपनी जगह पर शांति से बैठा रहे। मतगणना हाल में

धुम्रपान पूरी तरह वर्जित है। रिटर्निंग आफिसर के किसी भी निर्देश की अवहेलना करने पर गणन अभिकर्ता को मतगणना हाल से बाहर भेजा जा सकता है ।

6. प्रत्येक गणना मेज पर उसका कमांक प्रदर्शित होगा और एक गणना पर्यवेक्षक तथा गणना सहायक तैनात होगे। मेज के एक सिरे पर गणना पर्यवेक्षक उसके एक लम्बे किनारे पर गणन सहायक बैठेगें। गणना अभिकर्ता गणना सहायकों के सामने बैठेगे जहां से वे मतपत्रों की छटाई, संवीक्षा और गणना कार्य देख सकेगें।

7. मतगणना हाल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा–

(1) *गणना पर्यवेक्षक तथा गणन सहायक,*

(2) *राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,*

(3) *जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,*

(4) *निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यरत लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी), तथा*

(5) *अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता ।*

8. मतगणना कार्य नियत समय पर प्रारम्भ किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण मतगणना का कार्य रोका या विलम्बित नहीं किया जायेगा।

9. मतपेटियों को गणना मेजों पर इस प्रकार वितरित किया जायेगा कि वार्ड कमांक–1 की मतपेटी/मतपेटियां, मेज कमांक–1 पर रखी जाये और इसी कम के अनुसार वार्ड और गणना मेज का कमांक एक ही रहे। दूसरे शब्दों में एक गणना मेज पर किसी एक विशेष वार्ड के समस्त मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतों की गणना की जायेगी। मतपेटियां गणना मेज पर मतदान केन्द्रवार बारी बारी से लायी जायेगी और एक समय में एक मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की ही गणना की जायेगी। स्पष्ट है कि प्रत्येक वार्ड के लिये मतगणना के उतने ही चक्र/दौर होंगें जितने कि उसमें मतदान केन्द्र हैं।

10. किसी मतदान केन्द्र की मतपेटी/मतपेटियां गणना मेज पर लाये जाने पर उपस्थित गणन अभिकर्ताओं को उसे/उन्हें देखने और इस बात के लिये अपना समाधान/संतुष्टि करने का अवसर दिया जायेगा कि किसी मतपेटी पर लगी सील के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। मतपेटी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर के द्वारा स्वयं जांच की जावेगी तथा उस समय तक उन मतदान केन्द्र की मतगणना का कार्य रूका रहेगा। शेष मतदान केन्द्रों की मतगणना जारी रहेगी। यदि रिटर्निंग आफिसर जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुचे कि मतपेटी को पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है तो वह उस मतदान केन्द्र की मतगणना रोक देगा और इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आगे की कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जायेगी।

11. मतपेटी की सीलों और उसकी अनन्यता (अर्थात् वास्तव में उसी मतदान केन्द्र की मतपेटी होने) के बारे में जांच हो जाने पर मतपेटी खोली जायेगी। मतपेटी के सभी मतपत्र मतगणना मेज पर निकाले जायेंगे। गणन अभिकर्ताओं को इस बारे में अपना समाधान कर लेने दिया जायेगा कि मतपेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिये गये हैं और उसके अन्दर और कोई मतपत्र नहीं बचा है ।

मतपेटी के अन्दर से निकाले गये मतपत्रों को उल्टा रखकर (अर्थात् उम्मीदवारो के नाम एवं चुनाव चिह्न वाला भाग नीचे की ओर रखते हुये) उनकी संख्या ज्ञात की जायेगी।

12. (1) *उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर मतपत्रों को पुनः सीधा रखते हुये गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों द्वारा उनकी संवीक्षा (जांच) तथा अभ्यर्थीवार छंटनी की जायेगी। प्रत्येक मेज पर एक गणना ट्रे रहेगी जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या से एक अधिक खाना (संदिग्ध मतपत्रों के लिये) होगा। किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये*

सभी विधिमान्य मतपत्र उसी अभ्यर्थी के लिये निर्धारित खाने में रखे जायेगे। ऐसा प्रत्येक मतपत्र जिसकी विधिमान्यता सन्देहास्पद हो, अर्थात् जिसके बारे में गणना सहायक के लिये यह निर्णय लेना सम्भव न हो कि मतपत्र किस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाये, संदिग्ध मतपत्रों के खाने में रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के बीच किसी मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में या इस बारे में वह किस अभ्यर्थी को दिया गया है विवाद हो तो ऐसे मतपत्र की विधिमान्यता या यह मतपत्र किस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाये या इसे रद्द किया जाये, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा जैसे भी स्थिति हो निर्णय लिया जायेगा।

(2) *संदिग्ध मतपत्रों की जांच रिटर्निंग आफिसर द्वारा (जिसका अभिप्रायः सहायक रिटर्निंग आफिसर से भी है) की जायेगी तथा वह खारिज किये जाने वाले ऐसे किसी भी मतपत्र को जिसे कोई उपस्थित अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट (या दोनों की अनुपस्थिति में गणना अभिकर्ता) ठीक से देखना चाहे उसे देखने की अनुमति देगा। परन्तु किसी मतपत्र को हाथ में लेकर देखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।*

(3) *किसी मतपत्र को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिक्षेपित/खारिज कर दिया जायेगा, यदि–*

(क) *उस पर कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या*

(ख) *वह बनावटी मतपत्र है, या*

(ग) *वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है, कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती, या*

(घ) *वह विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिये प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति क्रमाकों से भिन्न क्रमांक या परिकल्प (डिजाइयन) से भिन्न परिकल्प का है, या*

(ङ) *उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है, या*

(च) *उस पर मतांकन का चिन्ह (अर्थात् घूमने वाले तीरो का चिन्ह)नहीं है, या*

(छ) *उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम पर चिन्ह लगाया गया है ,या*

(ज) *उस पर उस प्रयोजन के लिये विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है, या*

किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) या खण्ड (ङ.) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई तो रिटर्निंग आफिसर यह निर्देश दे सकता है या ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुये इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जावे ।

(4) *मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किया जायेगा कि :–*

(क) *किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिह्न लगाये गये हैं, या*

(ख) *एक अभ्यर्थी के खाने से स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले (छायाकृत) स्थान में भी चिह्न लगा है, या*

(ग) *वह चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिह्न का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या*

(घ) *मूल चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने से स्पष्ट रूप से बना है, किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गई है। मूल चिह्न और उसकी छाया प्रति में अन्तर करना आसान है। मूल चिह्न में तीरों की दिशा घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा से विपरीत दिशा में रहती है। अतः उसकी छाप में तीरों की दिशा उससे उल्टी हो जायेगी अर्थात् घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा में हो जायेगी। इस आधार पर छाप तथा मूल चिह्न में सरलतापूर्वक भेद किया जा सकता है ।*

(ङ) *चिह्न किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या*

(च) *मतपत्र के पीछे कोई विभेदक चिह्न और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु रिटर्निंग अधिकारी को यह ज्ञान हो जाये कि यह चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई, या*

(छ) *मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है ।*

(5) *मतपत्र को खारिज करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज करने के कारण का संक्षिप्त रूप से उल्लेख रहेगा । जिस कारण से सम्बन्धित मतपत्र खारिज किया गया है तथा रिजैक्ट शब्द लिखेगा तथा लघु हस्ताक्षर करेगा।*

(6) *मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने पर तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाये । बगैर किसी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य परिस्थिति (जैसे कि आग या हिसां) के, गणना कार्य बीच में नहीं रोका जाये ।*

13. प्रत्येक मेज के गणना पर्यवक्षेक द्वारा किसी मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की गिनती पूरी होने पर, गणना का परिणाम, निर्धारित फार्म में भरा जायेगा और विभिन्न अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये मतों के अलग–2 बण्डल (मतपत्रों को 50–50) की गड्डियों में रखकर तथा धागे से लपेटकर बनाये जायेगें। (आखरी गड्डी, 50 से कम मतपत्रों की भी हो सकती है), संदिग्ध मतपत्रों का एक बण्डल पृथक/अलग से बनाया जायेगा। इन सब बण्डलों को फार्म के साथ एक सुतली से लपेटकर रिटर्निंग आफिसर के पास भेजा जायेगा। (रिटर्निंग आफिसर से आशय सहायक रिटर्निंग आफिसर से भी है) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रस्तुत बण्डलों में संदिग्ध मतपत्र वाले बण्डल में रखे गये मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाला गया माना जाये तो उसे सम्बन्धित अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये वैध मतपत्रो के बण्डल में सम्मिलित किया जायेगा। खारिज मतपत्रों को एक अलग बण्डल में रखा जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के वैध मतपत्रों के बण्डलों को (लगभग 5 प्रतिशत मतपत्रों की) नमूना जांच भी की जायेगी। यदि कोई विसंगति पाई गई तो इसे ठीक किया जायेगा और मतपत्रों के सुसंगत बण्डलों में यथाआवश्यक अतंरण करने की कार्यवाही के साथ–2 रिटर्निंग आफिसर मतों की प्रविष्टियों को संशोधित किया जायेगा। ऐसा करते समय पर्यवेक्षक द्वारा लिखे गये आंकड़ो को नहीं काटा जायेगा वरना उन आंकड़ो को आगे संख्या बढाने या घटाने के लिये (+) या (-) चिन्ह लगाकर आवश्यक प्रविष्टियां की जायेगी और उन पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जायेगें। इसके पश्चात् फार्म के अन्त में रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। इसी प्रकार वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतपत्रों की गणना बारी–2 से पूरी की जायेगी और मतदान केन्द्रवार गणना का परिणाम तैयार किया जायेगा।

14. किसी वार्ड से सम्मिलित सभी मतदान केन्द्रों की गणना पूरी हो जाने पर, उनका सारणीकरण करके गणना का अतिंम परिणाम पत्र तैयार किया जायेगा। इस प्ररूप में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके पक्ष में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों की संख्या का उल्लेख रहेगा तथा उसे कुल मिलाकर प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या दर्शाई जायेगी। गणना का अंतिम परिणाम पत्र तैयार होते ही प्रत्येक अभ्यर्थी

के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या के योग को रिटर्निंग आफिसर द्वारा आख्यापित (एनाउंस)किया जायेगा ।

15. रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार किये गये अंतिम परिणाम पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों के प्राप्त मतों का ऐलान किये जाने से पहले यदि कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता / इलैक्शन एजेंट मतपत्रों की पूर्णतः या भागतः पुनर्मतगणना के लिये लिखित में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र में उन आधारों का उल्लेख करना आवश्यक है जिन पर पुनर्मतगणना की मांग की जा रही है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने विवेक से आवश्यक समय दिया जायेगा। इस बीच आबंटन पत्र प्रस्तुत होने पर रिटर्निंग आफिसर उसमें पुनर्मतगणना के लिये उल्लिखत आधारों पर विचार करेगा। यदि आधार तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हों तो वह आवेदन पत्र अस्वीकृत कर देगा। परन्तु यदि वह यह पाए कि आवेदन पत्र में दिये गये आधार समाधानकारक हैं तो वह उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करेगा। रिटर्निंग आफिसर का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन पत्र पूर्णतः या आशिंक रूप से स्वीकार कर लिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतपत्रों की दोबारा गणना का निर्देश दिया जायेगा। ऐसी पुनर्मतगणना पूरी हो जाने पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा गणना का अंतिम परिणाम पत्र यथावश्यक संशोधित किया जायेगा और अपने द्वारा किये गये ऐसे संशोधनों का ऐलान किया जायेगा। तत्पश्चात् संशोधित अंतिम परिणाम पत्र में रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी या उसकी ओर से उसके निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट को पुनर्गणना की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा और यदि ऐसी मांग की भी जाती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

16. यदि किसी मतदान केन्द्र पर पुनः मतदान का आदेश दिया गया हो तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे पुनर्मतदान में डाले गये मतों की गणना के लिये निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान की सूचना आपको देगा। ऐसी गणना के लिये आप अपने निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट तथा नवनियुक्त गणन अभिकर्ता के साथ गणना के निर्धारित स्थान पर उपस्थिति हों । ऐसी गणना के लिये उपरवर्णित प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी।

17. यदि मतगणना की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाया गया कोई मतपत्र रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से अवैध रूप से निकाल लिया जाये या घटनावश नष्ट हो जाये या इरादतन नष्ट कर दिया जाये या खो जाये, जिससे उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम सुनिश्चित करना कठिन हो तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)के माध्यम से तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा तथा आयोग के निर्देशों की प्रतिक्षा करेगा। तथापि अन्य मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में गणना की कार्यवाही जारी रखी जायेगी।

18. जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त हुये हों उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त हो तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच लाट निकालने की कार्यवाही की जायेगी और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकले उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

19. (1) *निर्वाचन नियम 28 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति/जमानत राशि निम्नांकित उपबन्धों के अन्तर्गत या निक्षेप (जमा/भुगतान) करने वाले व्यक्ति का या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापिस कर दी जायेगी अथवा राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी–*

(*क*) *यदि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचि में नही दर्शाया गया हो या उसकी मतदान आरम्भ होने से पूर्व मृत्यु हो गई हो तो प्रतिभूति की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।*

(*ख*) *यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है और उसे प्राप्त हुये विधिमान्य मतों की संख्या निर्वाचित अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के तीसरे*

भाग से अधिक नही है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। परन्तु सरपंच के केस में वह सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त वोटो की कुल संख्या के एक दसवें भाग से अधिक नहीं है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

(2) *जमा धनराशि की वापसी के लिये आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।*

20. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों के अलग–2 बण्डल बनाए जायेगें तथा प्रतिक्षेपित/रद्द मतपत्रों का एक अलग से बण्डल बनाया जायेगा। प्रत्येक वार्ड के बण्डलों को एक पैकेट पेटी में रखकर उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/इलैक्शन एजेंट या इन दोनों की अनुपस्थिति में उसका गणना अभिकर्ता भी अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण जैसे कि आग, हिंसा आदि से मतगणना बीच में रोकनी पड़े तो सभी मतपत्रों और अन्य कागजों को एक पैकेट में रखकर सील बन्द कर दिया जायेगा तथा ऐसे प्रत्येक पैकेट पर रिटर्निंग आफिसर के साथ –2 कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता /इलैक्शन एजेंट अपनी सील लगाना चाहे तो उसे भी ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

*21. परिणाम की घोषणा के बाद रिटर्निंग आफिसर आपको, यदि निर्वाचित घोषित हुये तो, निर्वाचन का प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट–8**) देगा तथा आपसे उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि आप परिणाम की घोषणा के समय उपस्थित न हो तो रिटर्निंग आफिसर से शीघ्र सम्पर्क करें तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आपको अभिस्वीकृति पत्र निम्नांकित प्ररूप में देना होगा –*

मैं .....पिता/पति श्री .....
जिला परिषद्/पंचायत समिति/सरपंच/पंच.....के वार्ड क्रमांक .....
.....से अपने निर्वाचन के प्रमाण पत्र की प्राप्ति स्वीकार करता/करती हूं ।

.....
स्थान :–..... निर्वाचित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांकः–..... तथा नाम

अभिप्रमाणित तथा जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत .....
को अग्रेसित ।

रिटर्निंग आफिसर
सील

(2) *आपके पास निर्वाचन प्रमाण पत्र होना इसलिये आवश्यक है क्योंकि उसके आधार पर ही आप अपना स्थान ग्रहण कर पायेगें।*

अध्याय–12

निर्वाचन खर्च से सम्बन्धित लेखे को प्रस्तुतिकरन

*1. आयोग द्वारा जारी हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996 व संशोधित आदेश, 2007 (**परिशिष्ट 9**)के तहत चुनाव लडने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव परिणामें की धोषणा की तिथि के 30 दिनों की समय अवधि के अन्दर-अन्दर चुनाव लेखा खर्च प्रस्तुत करना अनिवार्य है । खर्चा रिपोर्ट चुनाव हारे व जीते सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है ।*

2. चुनाव खर्च लेखा निर्धारित समय अवधि के दौरान दो प्रतियों में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे जो कि आयोग द्वारा निर्धारित खर्चा रजिस्टर पर ही प्रस्तुत किये जाने होंगे । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन खर्च के लेखे की एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

*3. **निर्वाचन खर्च नीचे उल्लिखित प्रकिया के अनुसार रखा जाएगा–***

(1) प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिन प्रतिदिन के खर्च का अभिलेख रखने के लिए हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996 के अनुबन्ध–1 में दर्शाये गए मानक प्रोफार्मा अनुसार एक रजिस्टर जारी किया जाएगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रजिस्टर जारी करने के समय उसे विधिवत प्रमाणित करेगा।

(3) उम्मीदवार या इस सम्बन्ध में उस द्वारा प्राधिकृत उसके एजेन्ट द्वारा इस रजिस्टर में दिन प्रतिदिन के लेखे ईमानदारी से दर्ज किए जाएंगे और किसी अन्य दस्तावेज में नहीं।

(4) किए गए खर्च की पुष्टि में सभी दस्तावेज जैसे वाउचर, रसीदें, पावतियां आदि प्राप्त किए जाएंगे और उक्त रजिस्टर के साथ ठीक तिथि कम में रखे जाएं।

(5) (क) उक्त रजिस्टर में रखे गए दिन प्रतिदिन के लेखे पुष्टि दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी भी समय पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन खर्च प्रेषक या इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा मनोनीत किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा जांच करने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ख) उक्त वर्णित प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल रहने को मुख्य चूक समझा जाएगा।

*4. **निर्वाचन खर्च लेखा रखना व प्रस्तुत करना–** चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996, के अनुबन्ध– ।। में दिए गए प्रोफ़ार्मा के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा भी रखेगा ताकि सूचीबद्व विभिन्न मदों का कुल खर्च दर्शाया जा सके। चुनाव खर्च के लेखे, दो प्रतियों में, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे जो अनुबन्ध ।। में दिए गए प्रोफार्मा में उस द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप होंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन खर्च के लेखे की एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।*

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उक्त निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार द्वारा उक्त उप–पैरा (क) के अन्तर्गत निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाने की तिथि से 2 दिनों के अन्दर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए नोटिस लगवाएगाः–

(I) *लेखा दर्ज करवाने की तिथि*

(II) *उम्मीदवार का नामः और*

(III) *समय तथा स्थान, जंहा ऐसे लेखों की जांच की जा सकती है।*

5. ***निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपात्रता***—*इस बारे आयोग द्वारा जारी संशोधित आदेश, 2007 के तहत खर्चा रजिष्ट्र प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवारों के विरूद कारवाई करने के लिए निम्न अनुसार अधिकारी सक्षम हैं —*

1. *पंचों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)*
2. *सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व सदस्य जिला परिषद के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा ।*

उक्त अधिकारी अगर सन्तुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यक्तिः—

(क) *इस आदेश के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार समय के अन्दर तथा ढंग से निर्वाचन खर्च का लेखा पेश करने में असमर्थ रहता है, और,*

(ख) *ऐसा करने में असफल रहने का कोई ठीक कारण या कोई औचित्य नहीं दे तो उसे राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे अपात्र घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपात्र होगा ।*

अध्याय–13

पंचायत निर्वाचन के लिये
आदर्श आचरण संहिता

स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्धेश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों और शासकीय कर्मियों और विभागों के लिये आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है । आपसे अपेक्षा है कि निर्वाचन के निर्विघ्न संचालन तथा नैतिकता और शुचिता का उच्च स्तर बनाये रखने के लिये आचरण संहिता का पालन करें। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के कारण स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सम्भव नहीं है तो आयोग संविधान द्वारा अपेक्षित अपने दायित्वों के निर्वाह के लिये, किसी भी स्टेज पर, निर्वाचन प्रकिया स्थगित करने या अन्य विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिये समुचित कदम उठा सकता है ।

भाग–एक उम्मीदवारों के लिये

1. सामान्य आचरण

(1) *किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचें या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो ।*

(2) *मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातिय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।*

(3) *पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिये।*

(4) *किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये जिनका सम्बन्ध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहियें जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।*

(5) *किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिये तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिये।*

(6) *प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसें भी क्यों न हो। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिये किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिये।*

(7) *राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिये जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध हों जैसे कि–*

(i) *ऐसा कोई पोस्टर, इश्तिहार, पैम्फलैट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,*

(ii) *किसी उम्मीदवारों के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्धेश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के सम्बन्ध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,*

(iii) *किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,*

(iv) *मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना,*

(v) *मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,*

(vi) *मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,*

(vii) *मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना,*

(viii) *मतदान केन्द्र में या आस पास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना,*

(ix) *मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान का प्रयास करना ।*

(8) *मतदान के एक दिन/दो (जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो)पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिये।*

(9) *किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यो के लिये, उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिये और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिये।*

(10) *किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाए गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिये।*

(11) *मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिये और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिये। पर्ची मे मतदाता का नाम, उसके पति/पिता का नाम, वार्ड कमांक, मतदान केन्द्र कमांक तथा मतदाता सूचि में उसके कमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिये।*

(12) *मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिये।*

2. ***सभाएं एवं जुलूस***

(1) *किसी हाट, बाजार या भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिये तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियन्त्रित करने के लिये पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके।*

(2) *प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जूलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिये। यदि दो भिन्न–2 दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास–2 स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिये।*

(3) *किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जूलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिये जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिये जिनको लेकर चलने पर प्रतिबन्ध हो या जिनका उतेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।*

(4) *प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान से जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन या आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिये।*

3. ***शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबन्ध :***

शासन सहित सार्वजनिक उपकमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों जैसे कि टेलीफोन, फैक्स अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार के हित को आगे बढाने के लिये नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों आदि को उनके नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पंचायतों के पदाधिकारियों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिये।

भाग–दो— शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिये

1. *निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपकम द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो; जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना (स्कीम) या कार्य के लिये स्वीकृति जारी करना।*

2. *शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।*

3. *चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमन्त्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।*

4. *किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतू अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिये जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है ।*

5. *विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उन्हीं शर्तो पर करने दिया जाना चाहिए जिन शर्तो पर उनका उपयोग सताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है । परन्तु किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।*

6. (1) *साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाये उसे चुनाव सम्बन्धी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिये तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिये।*

(2) *यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी पंचायत क्षेत्र का भ्रमण करे (जहां कि चुनाव होने वाले हो) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिये और उसमें सुरक्षा के लिये तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिये। ऐसे दौरे के लिये शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिये ।*

7. *निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या संसद सदस्यों या विधान सभा सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि या क्षेत्र राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिये। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिये।*

8. *चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यमों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किये जाने चाहिए जिनमें सताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढाने में सहायता मिलती हो ।*

भाग–तीन ––त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये

नोटः *इस भाग में पंचायत से अभिप्रायः, यथास्थिति, जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत से है ।*

1. *पंचायत कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्क्षता से करना चाहिये और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिये जिससे ये आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं ।*

2. *निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक–*

(i) *पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये;*

(ii) *पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निमार्ण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये;*

(iii) *पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए ;*

(iv) *पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिये स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये, वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नय का कोई कार्य (जैसे किसी–2 सड़क को चौड़ा करना या डामीकृत करना या उसमें खड़ंजे बिछाना, नालियों को पक्का करना, नल जल योजना का विस्तार करना, नए हैन्डपम्प लगाना, नई स्ट्रीट लाईट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हो, प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिये ;*

(v) *किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यकम के आयोजन के लिये कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ;*

(vi) *पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलैट जारी नहीं किया जाना चाहिये जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो;*

(vii) *पंचायत के माध्यम से कियान्वित किये जाने वाले, परिवार या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं समाजिक सुरक्षा कार्यकमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिये सहायता, सिंचाई स्रोत या आवास के निमार्ण के लिये सहायता, निराश्रित पैंशन, वृद्धावस्था पैंशन आदि) के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिये ;*

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदाधिकारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिये और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिये ।

प्ररूप–5

{देखिये नियम 31 का उपनियम (1)}
उम्मीदवार की वापसी का नोटिस

————————————के लिये निर्वाचन ————————————————————————————
जिला परिषद् ————————————————की वार्ड संख्या ————————————————————
पंचायत समिति ————————————————की वार्ड संख्या ————————————————————
ग्राम पंचायत ————————————————का सरपंच
ग्राम पंचायत ————————————————की वार्ड संख्या

निर्वाचन अधिकारी
————————————

मैं ————————————————पिता/पति का नाम ————————————————————
उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित रूप से उम्मीदवार इसके द्वारा नोटिस देता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापिस लेता हूं ।

स्थानः *————————————*
विधिमान्य रूप से नामांकित
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तिथिः

यह नोटिस मेरे कार्यालय में ————————————————————(बजे)----------
(दिनांक) ————————————————द्वारा (नाम) <u>उम्मीदार/उम्मीदवारो</u> के अभिकर्ताओ द्वारा मुझे सपुर्द किया गया था ।
तिथिः *————————————*
निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जो लागू न हो उसे काट दें।
——

वापसी के नोटिस की रसीद

(नोटिस सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को दिया जाना)

उम्मीदवार की वापसी का नोटिस ————————————————के निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मेरे कार्यालय में ————————————————(बजे) ————————————————दिनांक को सुपुर्द किया गया था ।

तिथिः *निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)*

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
Nirvachan Sadan, Plot No.2, Sector 17, Panchkula
Notification

The 13th March, 2014

No.SEC/3E-II/2014/314 - Whereas, the superintendence, direction and control of all elections to Panchayati Raj Institutions in the State are vested in the State Election Commission by the Constitution of India and the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act No. 11 of 1994),

And whereas, it is necessary and expedient to provide in the interest of purity of elections to Panchayati Raj Institutions in the State of Haryana and in the interest of conduct of such elections, in a fair and efficient manner, for the specification, reservation, choice and allotment of symbols, for the recognition of political parties in relation thereto and for matters connected therewith;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under article 243K of the Constitution of India, section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act No.11 of 1994), and rule 33 of the Haryana Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission, Haryana hereby makes the following Order:-

1. Short title, extent, application and commencement.- (1) This Order may be called the Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Haryana in relation to elections in Panchayati Raj Institutions.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Haryana Government Gazette, which date hereinafter referred to be the date of commencement of this Order.

2. Definitions and interpretation.- (1) In this Order, unless the context otherwise requires, ----

(a) "Act" means the Haryana Panchayati Raj Act, 1994;

(b) "clause" means a clause of the paragraph or sub-paragraph in which the word occurs;

(c) "contested election" means an election to Panchayati Raj Institutions i.e. Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad ward where a poll is taken;

(d) "election" means an election to fill a seat or seats of Panch, Sarpanch, Member Panchayat Samiti & Zila Parishad to which this Order applies;

(e) "Form" means a form appended to this Order;

(f) "National party" means and includes every political party which has been recognised by the Election Commission of India as a National Party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

(g) "political party" means an association or body of individual citizens of India registered with the Election Commission of India as a

political party under section 29A of the Representation of the People Act,1951(43of 1951);

(h) "State party" means and includes every political party which has been recognised by the Election Commission of India as a State party in the State of Haryana under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

(i) "registered but un-recognised political party" means and includes every political party registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 with the Election Commission of India, and head office of which is located in the State of Haryana ;

(j) "paragraph" means a paragraph of this Order;

(k) "rules" mean the Haryana Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994;

(l) "State Election Commission" means the State Election Commission, Haryana constituted under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India vide Haryana Government, Development and Panchayat Department, Notification No. S.O.101/Const./Art. 243K/243ZA/93, dated the 18th November, 1993;

(m) "sub-paragraph" means a sub-paragraph of the paragraph in which the word occurs.

(n) "ward" means a ward for; Panch in a Gram Panchayat, Member in a Panchayat Samiti and Member in a Zila Parishad, formed under rule 4 of the Haryana Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 for the purpose of election of Panch or Member; and

(o) words and expressions used but not defined in this order but defined in the Representation of the People Act, 1950, or the rules made thereunder or in the Representation of the People Act, 1951, or the rules made thereunder or the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, and rules made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts and rules.

(2) The Punjab General Clauses Act, 1898 (Punjab Act 1 of 1898) shall, as far as may be, apply in relation to the interpretation of this Order as it applies in relation to the interpretation of a Haryana Act.

3. Allotment of symbols.- In every contesting election, a symbol shall be allotted to a contesting candidate in accordance with the provisions of this Order and different symbols shall be allotted to different contesting candidates at an election in the same ward.

4. Classification of symbols.- (1) For the purpose of this Order, symbols are either reserved or free.

(2) Save as otherwise provided in this Order, a reserved symbol is a symbol which is reserved by the Election of India under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 for a recognised political party.

(3) A free symbol is a symbol other than a reserved symbol.

5. Notification by the State Election Commission containing lists of political parties and the symbols.- (1) The State Election Commission shall, by one or more notifications in the State Gazette, publish lists specifying-

(a) the National parties and the symbols, respectively reserved for them;
(b) the State parties for the State of Haryana and the symbols, respectively reserved for them ; and
(c) the free symbols for the independent candidates.

(2) Every such list shall, as far as possible, be kept up-to-date.

6. Allotment of symbols in election for the office of Panches and Sarpanches.- (1) The election of the office of Panches and Sarpanches cannot be contested by any candidate on a symbol reserved for the political party and symbols shall be allotted to the contesting candidates seriatim-wise from the list of free symbols notified by the State Election Commission under para 5 (1) (C) above, as the case may be, in order of the list of contesting candidates prepared in Hindi in alphabetical order of Devnagri Script on the last day of withdrawal of nomination.

(2) Each candidate or his election agent shall be intimated the symbol allotted to him in writing, and signature obtained in token of having received that intimation. He shall also be given specimen copy of that symbol, along with the said information.

7. Choice of symbols by candidates of National and State parties and allotment thereof.- (1) A candidate, set up by a National Party at any election in any ward of Panchayat Samiti or Zila Parishad, shall be allotted the symbol reserved for that party and no other symbol.

(2) A candidate, set up by a State party at an election in any ward of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, shall be allotted the symbol reserved for that party in the State of Haryana and no other symbol.

(3) A reserved symbol shall not be chosen by, or allotted to, any candidate in any ward of Panchayat Samiti or Zila Parishad other than a candidate set up by a National party for whom such symbol, has been reserved or a candidate set up by a State party in the State of Haryana for whom such symbol has been reserved in the State of Haryana even if no candidate has been set up by such National or State party in that ward.

8. Choice of symbols by other candidates and allotment thereof.- (1) Any candidate of an election in a ward in any Panchayat Samiti or Zila Parishad other than-

(a) a candidate set up by a National party, or
(b) a candidate set up by State Party (recognised for the State of Haryana), or
c) a candidate referred to in paragraph 9,

shall choose and shall be allotted in accordance with the provisions hereinafter set out in this paragraph, one of the symbol specified as free symbol for that Panchayat Samiti or Zila Parishad by notification under paragraph 5.

(2) Where any free symbol has been chosen by only one candidate of such election, the returning officer shall allot that symbol to that candidate and to no one else.

(3) Where the same free symbol has been chosen by several candidates of such election, then –

(a) if, of those several candidates, only one is a candidate set up by a registered but unrecognized political party and the rest are independent candidates, the returning officer shall allot that free symbol to the candidate set up by the unrecognized political party, and to no one else and, if, of those several candidates, two or more are set up by different unrecognised political parties and the rest are independent candidates, the returning officer shall decide by lot to which of the two or more candidates set up by the different unrecognized political parties that free symbol shall be allotted, and allot that free symbol to the candidate on whom the lot falls, and to no one else:

Provided that where of the two or more such candidates set up by such different unrecognised political parties, only one is, or was, immediately before such election, a sitting member of Panchayat Samiti or Zila Parishad (irrespective of the fact as to whether he was allotted that free symbol or any other symbol at the previous election when he was chosen as such member), the returning officer shall allot that free symbol to that candidate, and to no one else;

(b) if, of those several candidates, no one is set up by any unrecognised political party and all are independent candidates, but one of the independent candidates is or was, immediately before such election a sitting member of Panchayat Samiti or Zila Parishad, and was allotted that free symbol at the previous election when he was chosen as such member, the Returning Officer shall allot that free symbol to that candidate, and to no one else; and

(c) if, of those several candidates, being all independent candidates, no one is, or was, a sitting member as aforesaid, the returning officer shall decide by lot to which of those independent candidates that free symbol shall be allotted, and allot that free symbol to the candidates on whom the lot falls, and to no one else.

Provided that every independent candidate of Panchayat Samiti/Zila Parishad shall give in his/her nomination form, choice of three symbols in order of preference, from the list of free symbols published by the State Election Commission for these elections.

9. When a candidate shall be deemed to be set up by a political party.- For the purposes of this order, a candidate shall be deemed to be set up by a political party in any ward of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, if, and only if, -

(a) the candidate has enclosed a declaration to that effect along with the nomination paper;

(b) the candidate is a member of that political party and his name is borne on the rolls of members of the party;

(c) a notice by the political party in writing, in Form B, to that effect has, not later than 3.00 P.M. on the last date for making nominations, been delivered to the Returning Officer of the ward;

(d) the said notice in Form B is signed by the President, the Secretary or any other office bearer of the party, and the President, Secretary or such other office bearer sending the notice has been authorised by the party to send such notice;

(e) the name and specimen signature of such authorised person are communicated by the party, in Form A, to the Returning Officer of the Panchayat Samiti or Zila Parishad not later than 3.00 P.M. on the last date for making nominations; and

(f) Forms A and B are signed, in ink only, by the said office bearer or person authorised by the party:

Provided that no facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc. of any such office bearer shall be accepted and no form transmitted by fax shall be accepted.

10. Concession to candidates set up by a State party recognised for the States/Union Territories other than the State of Haryana.- If a political party which is recognised as a State party, in the State or Union Territory other than the State of Haryana, sets up a candidate at an election in a ward in any Panchayat Samiti or Zila Parishad in the State of Haryana, then such candidate may, to the exclusion of all other candidates in the ward, be allotted the symbol reserved for that party in the States or Union Territories in which it is a recognised State party, on the fulfilment of each of the following conditions, namely :-

(a) that an application is made to the State Election Commission by the said party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it, not later than the third day after the publication in the Official Gazette of the notification calling the election;

(b) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of paragraph 9 read with paragraph 11 in respect of such candidate ; and

(c) that in the opinion of the State Election Commission there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment:

Provided that nothing contained in this paragraph shall apply to a candidate set up by the State party recognised for other State or Union Territory at an election in any ward of the Panchayat Samiti or Zila Parishad where the same symbol is already reserved for State party recognised for the State of Haryana.

Provided further that, if the symbol reserved for the said State party recognised for other State/ Union Territory by the Election Commission of India, is not available in the list of free symbols published by the State Election Commission, the party concerned shall make available the sketch/drawing, of symbol alongwith application to be submitted under sub para (a) of this paragraph.

11. Substitution of a candidate by a political party.- For the removal of any doubt, it is hereby clarified that a political party which has given a notice in Form B under paragraph 9 in favour of a candidate may rescind that notice and may give a revised notice in Form B in favour of another candidate for the ward:

Provided that the revised notice in Form B, clearly indicating therein that the earlier notice in Form B has been rescinded, reaches the Returning Officer of the ward, not later than 3.00 p.m. on the last date for making nominations, and the said revised notice in Form B is signed by the authorized person referred to in clause (d) of paragraph 9:

Provided further that in case more than one notice in Form B is received by the Returning Officer in respect of two or more candidates, and the political party fails to indicate in such notices in Form B that the earlier notice or notices in Form B, has or have been rescinded, the Returning Officer shall accept the notice in Form B in respect of the candidate whose nomination paper was first delivered to him, and the remaining candidate or candidates in respect of whom also notice or notices in Form B has or have been received by him, shall not be treated as candidates set up by such political party.

12. Preparation of list of validly nominated candidates.- (1) List of validly nominated candidates shall be prepared by the Returning Officer alphabetically in Hindi in Devnagari script as per the following Order:-

(a) name of the candidates set up by the recognised political party;
(b) name of candidates set up by the registered but un-recognised political party; and
(c) names of independent candidates.

13. Power of State Election Commission to debar the contesting candidate or to withdraw the reserved symbol of a recognized political party for its failure to observe Model Code of Conduct or to follow lawful directions and instructions of the State Election Commission.- Notwithstanding anything contained in this Order, if the State Election Commission is satisfied on information in its possession that a recognized political party under the provisions of this Order, has failed or has refused or is refusing or has shown or is showing defiance by its conduct or otherwise

(a) to observe the provisions of the " Model Code of Conduct for Guidance of Political parties and candidates" as issued by the State Election Commission or as amended by it from time to time, or
(b) to follow or carry out the lawful directions and instructions of the State Election Commission given from time to time with a view to furthering the conduct of free, fair and peaceful elections of safeguarding the interests of the general public and the electorate in particular,

the State Election Commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and after giving the party a reasonable opportunity of showing cause in relation to the action proposed to be taken against it, either debar the contesting candidate or to withdraw the reserved symbol of such party for such period as the State Election Commission may deem appropriate.

Provided that if a symbol of a contesting candidate set up by a political party has been withdrawn, he can contest election on a free symbol.

14. Power of State Election Commission to issue instructions and directions.- The State Election Commission may issue instructions and directions,-

(a) for the clarification of any of the provision of this Order;

(b) for the removal of any difficulty which may arise in relation to the implementation of any such provisions; and

(c) in relation to any matter with respect to which this Order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is in the opinion of the State Election Commission necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

15. Repeal and savings.- The Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1996, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the order so repealed shall be made or taken under the corresponding provisions of these orders**.**

FORM-A

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED PERSONS TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY RECOGNISED NATIONAL OR STATE POLITICAL PARTY OR REGISTERED UN-REGISTERED POLITICAL PARTY.

[See paragraph 9)
To

The Returning Officer for the

_____Panchayat Samiti/Zila Parishad.

Subject: Elections to Member Panchayat Samiti or Zila Parishad _____ -Allotment of Symbols-Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of the Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2013, I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorised by the party, which is National party/State party in the State of _____Registered but Un-recognised party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	Name of Panchayat Samiti or Zila Parishad and it's Ward No. in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. The specimen signatures of the above mentioned person(s) so authorised are given below:-

1. Specimen signatures of Shri

_____

(i)_____ (ii) _____

(iii)_____

2. Specimen signatures of Shri

_____

(i) _____ (ii)

_____

(iii) _____.

3. Specimen signatures of Shri

_____

(i) _____ (ii)

_____

(iii) _____.

Yours faithfully,

President/Secretary
Name of the Party.
(Seal)

Place:
Date:

N.B.

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3.00 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above.
3. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc. of any office bearer shall be accepted.
4. No form transmitted by fax shall be accepted.

FORM B

NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY

(See paragraph 9)

To

The Returning Officer for the
_____ Panchayat Samiti or Zila Parishad.

Subject: Election to Elections to Member Panchayat Samiti or Zila Parishad _____-Setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of the Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2013, I hereby give notice on behalf of _____(Party).

(i) that the person whose particulars are furnished in columns(2) to (4) below is the approved candidate of the part above named, and

(ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substituted candidate of the party, who will step –up on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye-election from this constituency:

Name and Ward No. of Panchayat Samiti or Zila Parishad	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's Name of approved candidate.	Postal address of approved candidate.	Name of the substitute candidate who will step in (i) on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or (ii) on his (approved candidate) withdrawing from the contest if, however, the nomination paper of substitute candidate is accepted on scrutiny as an independent candidate, and he is still a contesting candidate.	Father's/ Mother's/ Husband's name of substituted candidate.	Postal address of substituted candidate.
1	2	3	4	5	6	7

2. The notice in Form "B" given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri _____ as party's approved candidate/Shri/ Smt./ Sushri _____ as Party's substituted candidate is hereby rescinded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,

(Name and Signature of the
Place: Authorized person of the
Party)
Date: (Seal of Party)

N.B.

This must be delivered to the Returning Officer not later than 3.00 p.m. on the last date for making nominations.

1. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc. of any office bearer shall be accepted.
2. No form transmitted by fax shall be accepted.
3. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable or must be properly filed, if applicable.

Dated Panchkula DHARAM VIR,
the 13th March, 2014 STATE ELECTION COMMISSIONER, HARYANA

प्ररूप–10

{देखिये नियम 35 के उप–नियम (1)}

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं _____ *निर्वाचन के लिये उम्मीदवार वार्ड संख्या* _____ *से पंच* _____ *ग्राम पंचायत* _____ *सरपंच ग्राम पंचायत* _____ *वार्ड संख्या* _____ *से पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति का* _____ *वार्ड संख्या* ____ *से जिला परिषद् का सदस्य रखा जायेगा* _____ *इसके द्वारा नियुक्ति* _____

*श्रीमान*_____

अभिकर्ता का नाम

स्थान _____ _____

दिनांक _____ _____

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं ।

स्थान _____ _____

दिनांक _____ _____

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान _____ _____

दिनांक _____ _____

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

प्ररूप–22

{देखिये नियम 35–क का उप–नियम (1) }

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

**——————————————ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या ———————————से पंच/*सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————*वार्ड संख्या ————से ——————————————पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या ————————————से ——————————जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।*

मैं ———————————————उम्मीदवार ————————————————————जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा ——————————————————————————(नाम तथा पता) को ———————————————— पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या ——————————————पर हाजिर होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः
तिथिः *उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर*

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं ।

स्थानः
तिथिः *मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर*

पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान अभिकर्ता की घोषणा का हस्ताक्षरित किया जाना।

मैं इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया ।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः
तिथि *पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर*

**जो लागू न हो उसे काट दें ।*

परिशिष्ट–5

प्ररूप–23

{देखिये नियम 35–ख का उप–नियम (1) }

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*वार्ड संख्या ––––––––––––––––––––से –––––––––––––––ग्राम पंचायत के पंच –––––––––––––––––––––*सरपंच, ग्राम पंचायत ––––––––––––––––––––*वार्ड संख्या –––––––से –––––––पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या ––––––––––से –––––––––––जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।

मैं, ––––––––––––––––जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हूं, –––––––––– का, जो उपर्युक्त उम्मीदवार है/निर्वाचन अभिकर्ता हूं इसके द्वारा –––––––––––––––––––––––––(नाम तथा पता) को –––––––––––––––––––––पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या –––––––पर हाजिर रहने के लिये गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः

तिथिः उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं /हम गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं।हैं

स्थानः

तिथिः गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा

मैं /हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं /करते हैं कि मै/हम उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा।/करेंगे।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया ।

गणन अभिकर्ता /अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

स्थानः

तिथि रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप–13
(देखिये नियम 56)
मतपत्र लेखा

चुनाव ––
ग्राम पंचायत ––
पंच वार्ड संख्या –––
सरपंच, ग्राम पंचायत ––
वार्ड संख्या ––––––––––––––––––––––––––––––––––––से पंचायत समिति का सदस्य
वार्ड संख्या ––––––––––––––––––––––––––––––––––––से जिला परिषद का सदस्य
मतदान केन्द्र संख्या ––

		क्रम संख्या (1)	कुल संख्या (2)
1.	मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये मतपत्रों की संख्या		
2.	मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की संख्या		
3.	वापस किये गये अप्रयुक्त मतपत्रों की संख्या		
4.	रदद किये गये मतपत्रों की संख्या		
5.	उपयोग में लाये गये निविदत मतपत्रों की संख्या		
6.	मतपेटी में मतपत्रों की संख्या		

स्थानः...........................
दिनांकः ....

....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–7

पंचायत निर्वाचन
मतपत्र लेखा की पावती

मैने निम्नांकित मतदान अभिकर्ताओ को, जो मतदान के बन्द होने पर, मतदान केन्द्र पर उपस्थित थे और जिन्होनें नीचे हस्ताक्षर किये हैं, मतपत्र लेखा की एक –एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति दे दी है ।

दिनांकः–

हस्ताक्षर––––––––––
नाम ––––––––––
पीठासीन अधिकारी––––––
मतदान केन्द्र क्रमांक ––––––––

मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त की :–

(1) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

(2) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

(3) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

(4) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

(5) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

2. *निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान के बन्द होने पर उपस्थित थे, मतपत्र लेखा की अभिप्रमाणित सत्य प्रति प्राप्त करने और उसके लिये रसीद लेने से इन्कार कर दिया :–*

(1) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

(2) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

(3) *अभ्यर्थी श्री* _____ *का मतदान अभिकर्ता* _____

दिनांकः––––––––––

हस्ताक्षर––––––––
पीठासीन अधिकारी––––––––––
मतदान केन्द्र कमांक––––––––––

पंचायत निर्वाचन
निर्वाचन का प्रमाण पत्र

*मैं,*जिला परिषद्/पंचायत समिति/सरपंच/पंच _____ जिला _____के लिये रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने _____(वर्ष) के _____ (माह) की दिनांक _____को यह घोषित कर दिया है कि श्री/श्रीमति/कुमारी _____*

पता _____ जिला परिषद्/पंचायत समिति/सरपंच/पंच _____के वार्ड कमांक _____से सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है ।

स्थान
दिनांकः–

हस्ताक्षर––––––––––
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)
नाम ––––––––––
सील––––––––––

****जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये।***

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996

उम्मीदवारों द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायतों के चुनावों के निर्वाचन खर्च के लेखे प्रस्तुत करने और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु आदेश।

जबकि भारतीय संविधान और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम–11) द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायतों के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। और जबकि, राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव में बेहिसाब वित्तीय स्रोतों की बढ़ती हुई खराब भूमिका के प्रति पूर्णतः सजग है तथा इस को रोकने में वर्तमान कानून अपर्याप्त होने के कारण हरियाणा राज्य में पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष तथा कुशलतापूर्वक करवाने के लिए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव और उससे सम्बन्धित मामलों पर होने वाले खर्च के लेखे प्रस्तुत करने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक और अनिवार्य है।

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम–11) की धारा 212 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों और इस सम्बन्ध में सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते है–

1. संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार, लागू करना तथा प्रवर्तनः– (1) इस आदेश को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996 कहा जाए।

(2) *यह आदेश सभी पंचायतों में चुनाव के सम्बन्ध मे समूचे हरियाणा राज्य में लागू होगा।*

(3) *यह आदेश हरियाणा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, जो इस के पश्चात इस आदेश की प्रारम्भ तिथि होगी।*

2. परिभाषा और अभिव्यक्तिः– (1) इस आदेश में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) *"अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम संख्या II)*

(ख) *"निर्वाचन खर्च" से अभिप्राय है, उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा नामांकन और उसके परिणामों की घोषणा की तिथि इसमें दोनों दिन शामिल होंगे के बीच निर्वाचन के सम्बन्ध में किया गया अथवा प्राधिकृत कोई खर्च'*

(ग) *"पंचायत" से अभिप्राय है, अनुच्छेद 243 ख के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वाशासन संस्था और इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं,*

(घ) *"नियम " से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियमावली, 1994,*

(ङ) *"धारा" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा,*

(च) *"राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 212 के साथ पटित संविधान के अनुच्छेद 243ट के अन्तर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा*

(छ) *"उप–पैरा" से अभिप्राय हैः पैरे का वह उप पैरा जिसमें शब्द आता है, और*

(2) *इस आदेश में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति किन्तु जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु जिन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,*

1994 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, उन का अर्थ कमशः इन अधिनियमों और नियमावलियों में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

(3) *"ऐसी परिभाषा न होने की स्थिति में पंजाब सामान्य खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का पंजाब अधिनियम संख्या I) यथासम्भव इस आदेश की व्याख्या के सम्बन्ध में लागू होगा जिस तरह यह हरियाणा अधिनियम की व्याख्या के सम्बन्ध में लागू होता है।*

3. *निर्वाचन खर्च सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना–*

इस आदेश के प्रयोजनार्थ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किसी निर्वाचन में किए जाने वाले निर्वाचन खर्च की सीमा समय समय पर अधिसूचित की जाएगी।

4. *निर्वाचन खर्च लेखा रखनाः– चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा इस आदेश के प्रयोजनार्थ इस आदेश के पैरा 5 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार दिन प्रतिदिन का निर्वाचन खर्च लेखा रखा जाएगा।*

5. *निर्वाचन खर्च नीचे उल्लिखित प्रकिया के अनुसार रखा जाएगाः–*

(1) *प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी द्वारा (पंचायत) दिन प्रतिदिन के खर्च का अभिलेख रखने के लिए इस आदेश के अनुबन्ध–1 में दर्शाये गए अनुसार मानक प्रोफार्मा में एक रजिस्टर जारी किया जाएगा।*

(2) *निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रजिस्टर जारी करने के समय उसे विधिवत प्रमाणित करेगा।*

(3) *उम्मीदवार या इस सम्बन्ध में उस द्वारा प्राधिकृत उसके एजेन्ट द्वारा इस रजिस्टर में दिन प्रतिदिन के लेखे इमानदारी से दर्ज किए जाएंगे और किसी अन्य दस्तावेज में नहीं।*

(4) *किए गए खर्च की पुष्टि में सभी दस्तावेज जैसे वाउचर, रसीदें, पावतियां आदि प्राप्त किए जाएंगे और उक्त रजिस्टर के साथ ठीक तिथि कम में रखे जाएं।*

(5) (क) *उक्त रजिस्टर में रखे गए दिन प्रतिदिन के लेखे पुष्टि दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी भी समय पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन खर्च प्रेषक या इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा मनोनीत किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा जांच करने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।*

(ख) *उक्त वर्णित प्राधिकारी (क) द्वारा मांग करने पर इस रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल रहने को मुख्य चूक समझा जाएगा।*

6. (क) *चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार उसमें इस आदेश के अनुबन्ध II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा भी रखेगा ताकि सूचीबद्व विभिन्न मदों का कुल खर्च दर्शाया जा सके। चुनाव खर्च के लेखे, दो प्रतियों में, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे जो अनुबन्ध II में दिए गए प्रोफार्मा में उस द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप होंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन*

अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन खर्च के लेखे की एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(ख) *उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उक्त उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार द्वारा उक्त उप–पैरा (क) के अन्तर्गत निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाने की तिथि से 2 दिनों के अन्दर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए नोटिस लगवाएगा–*

(I) *लेखा दर्ज करवाने की तिथि*

(II) *उम्मीदवार का नामः और*

(III) *समय तथा स्थान, जंहा ऐसे लेखों की जांच की जा सकती है।*

(ग) *कोई भी व्यक्ति 5 रूपये फीस देकर ऐसे किसी लेखे की जांच करने का हकदार होगा और ऐसी फीस की अदायगी करने पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में नियत की जाए, ऐसे लेखे या उसके किसी भाग की साक्ष्यांकित प्रतियां प्राप्त करने के लिए भी हकदार होगा।*

7. (क) *निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाते समय उम्मीदवार, रिकार्ड के रूप में विहित रजिस्टर भी पेश करेगा।*

(ख) *प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन खर्च की विवरणियां प्रस्तुत करते समय अनुबन्ध–III में एक शपथपत्र भी देगा कि प्रोफ़ार्मा में सूचीबद्व मदों में शुन्य दिखाया गया खर्च, अथवा उसमें खाली छोड़ी गयी मद यदि कोई है, पर उसके द्वारा कोई खर्च नहीं किया या है। इस शपथपत्र में यह भी स्पष्ट बताया जाएगा कि निर्वाचन से सम्बद्व सूचीबद्व मदों पर किया गया समूचा निर्वाचन खर्च प्रायः विवरणी में पूरी तरह शामिल किया गया है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।*

8. *इस आदेश के अनुबन्ध–I में दिखाए गए अनुसार मानक प्रोफार्मा में एक रजिस्टर, अनुबन्ध–II के अनुसार प्रोफार्मा और अनुबन्ध–III के अनुसार शपथपत्र का नमूना निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के बाद खर्च का दैनिक लेखा रखने और विभिन्न मदों पर हुए कुल खर्च को दर्शाने के लिए दिया जाएगा।*

9. *चूंकि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन खर्च की विवरणी को "समूचें" निर्वाचन खर्च के लेखे के सम्बन्ध में "सहीं" दर्शाया जाना है अतः उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा उक्त पैरा 6 के उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार के लेखे निर्धारित ढंग के अनुसार हैं, ऐसा स्वीकार करने से पूर्व, ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे और आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजते समय प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में और उपयुक्त जांच के माध्यम से अपने द्वारा सत्यापित अनुसार आयोग को यह प्रमाणित करेगा कि लेखा विवरणियां निर्धारित ढंग के अनुरूप हैं।*

10. *उक्त प्रकिया के माध्यम से दायर की गई विवरणियों की प्रमाणिकता की अधिजांच करने का इच्छुक आयोग किसी उम्मीदवार को किसी चूक या गलत बयानी के लिए व्यक्तिगत रूप से उतरदायी ठहराएगा।*

11. *निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपात्रता यदि राज्य निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हो जाता कि कोई व्यक्ति–*

(क) *इस आदेश के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार समय के अन्दर तथा ढंग से निर्वाचन खर्च का लेखा पेश करने में असमर्थ रहता है, और*

(ख) *ऐसा करने में असफल रहने का कोई ठीक कारण या कोई औचित्य नहीं दे तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे अपात्र घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपात्र होगा।*

12. ऐसे निर्देश पूर्णतया अनिवार्य होते हैं और आयोग के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना न तो स्थानीय रूप से कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इसमें किसी प्रकार की छूट की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं होगा।

13. अनुदेश तथा निदेश जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति– राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित अनुदेश और निदेश जारी कर सकता है–

(क) *इस आदेश के किसी उपबन्ध के स्पष्टीकरण के लिए।*

(ख) *किसी ऐसे उपबन्ध के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली किसी कठिनाई का दूर करने के लिए।*

(ग) *चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन खर्च विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने सम्बन्धी किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या उपबन्ध अपर्याप्त है और राज्य निर्वाचन आयोग की राय में सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव करवाने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।*

14. इस आदेश की एक–एक प्रति सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के स्थानीय युनिट को और प्रत्येक उम्मीदवार को या अपने नामांकन (नामांकन के समय न की नामांकनों की संवीक्षा के समय) के समय उस द्वारा प्राधिकृत एजेंट को पावती सहित उपलब्ध करवायी जाए।

15. इस आदेश का सभी सुलभ और सम्भव साधनों के माध्यम से व्यापक सम्भव प्रचार किया जाए।

अनुबन्ध–I

निर्वाचन खर्च प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्म

उम्मीदवार का नामः
राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई है,
निर्वाचन क्षेत्र, जहां से चुनाव लड़ा गयाः
परिणाम घोषित होने के तिथिः

(दैनिक लेखा)

खर्च करने की तिथि	*खर्च की किस्म*	*खर्च का लेखा अदा किया गया*	*बकाया*	*अदायगी की तिथि*	*आदाता का नाम और पता*	*राशि की अदायगी की स्थिति में वाउचर कम संख्या*	*राशि बकाया होने की स्थिति में बिल कम संख्या*	*उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बकाया राशि अदा की जानी है*	*विशेष कथन*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप है।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अनुबन्ध–II
निर्वाचन खर्च का संक्षिप्त ब्यौरा

खर्च की मद	*मात्रा/ संख्या*	*खर्च करने वाले या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति/राजनैतिक दल/निकाय/ संस्था का नाम*	*खर्च की राशि*	*अदायगी की तिथि (तिथियां)*	*अदायगी का ढंग*	*लेखे के साथ सलंग्न किया गया अदायगी का प्रमाण पत्र*	*विशेष कथन*
1. नामांकन फार्मों की लागत							
2. प्रतिभूति जमा खर्च							
3. मतदाता सूचियों की प्रतियां खरीदने पर खर्च							
4. अभियान कार्यालयों का किराया खर्च							
5. घोषणापत्रो के मुद्रण पर खर्च							
6. व्यक्तिगत इति वृत मुद्रण खर्च							
7. पोस्टरों का मुद्रण खर्च							
8. विज्ञाप पत्रों का मुद्रण खर्च							
9. पोस्टर लगाने पर खर्च							
10. विज्ञापन पत्र बांटने पर खर्च							
11. दिवारों पर लिखवाने का खर्च							
12. विज्ञापन प्रकाशन खर्च							
13. सार्वजनिक बैठकों के लिए प्रचार खर्च							
14. सार्वजनिक बैठकों के निमित लिए गए स्थानों के किराया प्रभार							
15. सार्वजनिक बैठकों के लिए पण्डालों आदि के किराया प्रभार							
16. सार्वजनिक बैठकों के लिए लाउडस्पीकरों के किराया प्रभाार							
17. सार्वजनिक बैठकों के लिए फोटोग्राफरों के पारिश्रमिक प्रभार							
18. वीडियो कैसेट बनाने और दिखाने का खर्च							
19. ओडियो कैसेट बनाने और चलाने का खर्च							
20. अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे							
21. गेट और महराबे बनाने पर हुआ खर्च							
22. उम्मीदवार द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
23. निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपयोग में							

लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
24. मतदान एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
25. गणना एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
26. निर्वाचन एजेन्ट को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
27. मतदान एजेन्टों को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत।							
28. गणना एजेन्टों को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
29. घर–घर जाने वाले कामगारों को दिए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
30. सार्वजनिक परिवहन द्वारा पार्टी मुख्यालय तक जाने पर हुआ खर्च।							
31. विविध खर्च (उक्त सूचीबद्ध से अन्यथा)							

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

ध्यान दीजिएः– 1. *इस प्रोफार्मा के साथ एक शपथपत्र अवश्य लगाया जाना चाहिए शपथपत्र के बिना खर्च की की कोई विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी।*

2. *लेखा उम्मीदवार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, यदि यह उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ओर उम्मीदवार द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह लेखे के अनुरूप है।*

पावती

––––––––––––––––––––––––––––––उम्मीदवार का ––––––––––––––––––––निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस का परिणाम––––––––––––––––––––(तारीख) को घोषित किया गया था, निर्वाचन खर्च का लेखा––––––––––––––––––––––––(तिथि) को उस द्वारा और उस की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक––––––––––––––––––को मुझे प्राप्त हुआ।

जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला––––––––––––––––

अनुबन्ध–III

शपथपत्र

——————————————————के जिला की———————————————————— ग्राम पंचायत/पंचायत <u>समिति/जिला</u> परिषद वार्ड के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ———————— ———————————————(जिला)/निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख श्री—— सुपुत्र श्री———————————————————————————— का शपथपत्र।

मैं——————————————सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री———————————— आयु————————निवासी————————————————————————————————एतद द्वारा ईमानदारी निष्टापूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता हूं कि–

(1) मैं—————————————————————ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्ड————————————से आम चुनाव/उप–चुनाव का प्रतियोगी उम्मीदवार था इस का निर्वाचन परिणाम————————————तिथि को घोषित हुआ था।

(2) मैंने/मेरे निर्वाचन एजेन्ट ने———————————————से———————————तिथि तक (मेरी नामांकन तिथि—————————————से परिणाम घोषणा की तिथि तक जिस में दोनों दिन शामिल हैं)

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध मेरे द्वारा अथवा मेरे निर्वाचन एजेण्ट द्वारा किए गए अथवा प्राधिकृत सभी प्रकार के खर्च का लेखा पृथक और सही रखा गया है।

(3) उक्त लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए प्रोफार्मा में रखा गया है और इसकी एक सही प्रति उक्त लेखे में उल्लिखित सहायक वाउचरों बिलों सहित यहां सलंग्न की जाती है।

(4) इससे सलंग्न अनुबन्ध में दिखाए गए अनुसार मेरे निर्वाचन खर्च के लेखे में मेरे द्वारा अथवा मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किए गए या प्राधिकृत निर्वाचन खर्च की सभी मदें शामिल हैं तथा इसमें किसी भी खर्च को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(5) पूर्ववर्ती पैरे (1) से (4) में दिया गया विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कछ भी गलत नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है ——————————————————————————उम्मीदवार का,——————————निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जिस का परिणाम————————(तारीख) को घोषित किया गया था, निर्वाचन खर्च का लेखा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
S.C.O.NO.16-17, SECTOR 20-D, CHANDIGARH

ORDER

No.SEC/4E-III/2007/8769 Dated : 26.06.2007

Whereas, the State Election Commission has issued orders dated 30.05.1996 vide Endst. No.SEC/3E-III/96/7675-97 dated 7th June, 1996 called the Haryana Panchayati Raj Election Expenditure (Maintenance and Submission of accounts) order, 1996.

2. Whereas these orders provides that every candidate contesting election for the post of Panch/Sarpanch of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad, shall have to maintain day to day election expenditure account in accordance with the procedure laid down on Para 5 of these orders and shall have to lodge his account of election expenses within 30 days from the date of declaration of result of the election in the prescribed format.

3. Whereas, in Para–11 of the said orders, there is provision for disqualification of the candidates contesting election for the post of Panch/Sarpanch of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad, for failure to lodge account of election expenses, which is hereby amended and shall be read as under:-

11. Disqualification for failure to lodge account of election expenses:-

If the State Election Commission, in case of Sarpanch of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti & Member of Zila Parishad; and Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat), in case of Panch of Gram Panchayat, is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner require under this order and

(b) has no good reason or justification for the failure, the State Election Commission/Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat) shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and may such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.

Dated Chandigarh
the 25th June, 2007

CHANDER SINGH
State Election Commissioner,
Haryana

चुनाव खर्च की सीमा :

खर्चे की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है जिसकी पालना अनिवार्य है :–

(1)	*पंच*	Rs.10,000/-
(2)	*सरपंच (जिस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हो)*	Rs.30,000/-
(3)	*सरपंच (जिस ग्राम पंचायत में 15 से ज्यादा वार्ड हो)*	Rs.50,000/-
(4)	*पंचायत समिति*	Rs.1,00,000/-
(4)	*जिला परिषद्*	Rs.2,00,000/-